राजस्थान विधान सभा

सप्तम बैठक-बुधवार, दिनांक ९ अप्रेल सन् १९५२ ई०

सभा की बैठक आज तारीख ९ अप्रेल, सन् १९५२ ई० को सवाई मानसिंह टाउनहॉल, जयपुर, में ८ बज कर ५० मिनिट पर प्रारंभ हुई। माननीय अध्यक्ष (श्री नरोत्तमलाल जोशी) अध्यक्ष-पद पर आसीन।

—:::o:::—

पेनल ओफ चेयर मेन

माननीय अध्यक्षः—

आज बजट के ऊपर साधारण बहस होगी। इसके लिये मैं इस सदन की स्वीकृति से ९, १० और ११ तारीख के दिन साधारण बहस के लिये नियत करता हूं तथा वोटिंग ओन डिमान्ड्स फोर ग्रान्टस के लिये १४,१५ और १६ अप्रेल के दिन नियत किये जाते हैं। १७ तारीख का दिन प्राइवेट बिजनेस के लिये रहेगा और १८ तारीख का दिन एप्रोप्रियेशन बिल के लिये रहेगा। इस तरह बजट की बहस के ऊपर साधारण बहस के लिये १२ घंटे का समय रहेगा जिसमें से कांग्रेस पार्टी तथा संयुक्त पार्टी दोनों के लिये साढे चार साढे चार घंटे का समय रहेगा और एक घंटे का समय और सदस्यों को दिया जायगा तथा दो घंटे सरकार के मंत्रियों को उत्तर के लिये दिये जायेंगे।

पेनल ओफ चेअरमेन के लिये मैं:—

१. डा० मंगलसिंहजी
२. श्री गोपीलालजी यादव
३. श्री माधोप्रसादजी एन. पंडित, और
४. राजा श्री मानसिंहजी, भरतपुर,

के नाम घोषित करता हूं। साथ ही पब्लिक अकाउन्ट्स कमटी के लिये मैं यह घोषणा करता हूं कि आज ११ बजे तक जो ५ सदस्य चुने जाने वाले हैं उनके नाम मेरे पास आ जाने चाहिये।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये उनका ध्यान धारा १३१, रूल्स ओफ बिजनेस की ओर आकर्षित करता हूं। ये तीन दिन जो हैं वे बजट के

ऊपर साधारण बहस के लिये होंगे और इसमें यह निर्देश किया गया है, "the Assembly shall be at liberty to discuss the Budget as a whole or any question of principle involved therein, but no motion shall be moved at this stage nor shall the Budget be submitted to the vote of the Assembly" वोटिंग फोर डिमान्ड ओन ग्रान्ट्स के लिये आगे के जो तीन दिन हैं वे निश्चित किये गये हैं। इसलिये बजट के ऊपर साधारण बहस पर ही अपने आप को सीमित रखें।

श्री दुर्लभसिंहः—

अध्यक्ष महोदय, बजट साल हाल मेरे पास आने के बाद इस बजट को पूर्ण तौर से·······

माननीय अध्यक्षः--

Do you want to speak on some point of order?
(क्या आप पोइन्ट ओफ ओर्डर पर बोलना चाहते हैं?)

श्री दुर्लभसिंहः —

No sir, I want to make speech.

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री जसवन्तसिंहः—

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, दुनिया के हर कोने में जहां विधान सभा होती है और जहां हर साल आय-व्यय का आंकड़ा विधान सभा के सामने लाया जाता है उस वक्त उस समय उस देश में बहुत दिलचस्पी और बहुत चहल पहल बढ़ जाती है क्योंकि सबकी आखें सरकार के बजट पर लगी रहती हैं कि क्या क्या नये कर लगाये जायेंगे और कौन कौन से पुराने कर हटाये जायेंगे और उस देश के लिये क्या क्या नई चीजें होंगी? हमारे मित्र, माननीय वित्त मंत्रीजी, ने २-३ दिन पहले अपनी स्पीच (व्याख्यान) बजट पेश करते हुए विधान सभा के सामने दी थी और उस समय के वातावरण से मालूम हो रहा था कि हमारे यहां कुछ हो ही नहीं रहा था। किसी में कुछ भी दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही थी और जब माननीय मंत्रीजी सदन के सामने स्पीच (व्याख्यान) देने के लिये खड़े हुए थे उस समय ऐसा मालूम हो रहा था, जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने स्वयं कहा था, कि "मेरी स्पीच नीरस है;" और मैं तो यहां तक कहूंगा कि उसमें कुछ भी जान नहीं थी। जब स्पीच हो रही थी उस समय हमारे सदन के कुछ माननीय सदस्य जो दिलचस्पी ले रहे थे वह भी हाउस से छिपा हुआ नहीं है। ख्याल हो रहा था कि कुछ माननीय सदस्य आराम कर रहे थे। वे इस हाउस को छोड़ कर गेलेरीज़ में चल गये थे। उनमें विरोधी दल के सदस्य ही हों ऐसी

बात नहीं थी। यहां तक कि हमारे कांग्रेसी सदस्य भी हाउस छोड़ कर लोबी में चले गये थे क्योंकि वित्त मंत्रीजी ने आप ही कहा था कि बजट का स्पीच नीरस है तो फिर दूसरे लोगों को उसमें क्यों दिलचस्पी रहती । यह थी हमारे विधान सभा के पहले बजट की हालत; यही मैं आप सज्जनों के सामने कहना चाहता हूं।

अब यह कह कर मैं आय और व्यय के आंकड़ों के संबन्ध में कुछ दो चार शब्द कहूं उससे पहले मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि करीब तीन वर्ष पहले जब कि राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी उस समय हमारे राजस्थान की भिन्न भिन्न रियासतों की तरफ से सरकार को जो रकम मिली इसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। जितनी १८–२० रियासतों से मिल कर यह राजस्थान रियासत बनी उस समय उन रियासतों से, जैसा कि माननीय मंत्रीजी के भाषण को देखने से या आय–व्यय का आंकड़ा देखने से मालूम होगा कि, राजस्थान की भिन्न भिन्न रियासतों से करीब १७ करोड़ ४ लाख रुपये राजस्थान सरकार को प्राप्त हुए थे। इन १७ करोड़ ४ लाख रुपयों में से, मैं यह भी कहना मुनासिब समझता हूं कि जिस जगह से मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है यानि बीकानेर से, उस अकेली रियासत से ५ करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को प्राप्त हुए थे। ये ५ करोड़ रुपये इस प्रकार से थे–४,५३,७५,००० के जी. पी. नोटस, १६,९०,७६० रूपये की फिक्सड डिपोजिट और करीब १२,५०,००० के शेअर्स। इस तरह ५ करोड़ रुपये राजस्थान को समृद्धिशाली बनाने के लिये अकले बीकानेर राज्य ने दिये थे। राजस्थान को समृद्धिशाली बनाने के लिये दूसरी जिस रियासत का हाथ है वह है जयपुर रियासत। उसने करीब साढे चार करोड़ रुपये राजस्थान को दिये थे। इसलिये करीब १० करोड़ रुपये तो केवल इन दो रियासतों से ही प्राप्त हुए थे और बाकी बचे हुए रुपये अन्य दूसरी रियासतों ने दिये। इस प्रकार कुल १७ करोड़ रुपये राजस्थान को प्राप्त हुए थे।

अब तक तीन वर्षों में राजस्थान सरकार को जो मामूली तौर पर आमदनी होती रही उसके अलावा इन १७ करोड़ रुपयों की सिक्योरिटीज होने की वजह से या जी. पी. नोट्स होने की वजह से उनकी कीमतें, जैसा कि हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा था, फेस वल्यु (Face Value) ११ करोड़ ८० लाख और कुछ हजार रुपये रह गई है। हमें यह देखकर दुःख ही नहीं हुआ बल्कि आश्चर्य भी हुआ कि इन ११ करोड़ रुपये में से इम्पीरियल बैंक में से १ अप्रेल, सन् १९५२ ई० तक ९,३२,१०,००० रुपये का ओवरड्राफ्ट (Over draft) कर लिया गया है। इसके मायने यह हुए कि १७ करोड़ रुपये जो भिन्न भिन्न रियासतों से प्राप्त हुए थे उनका हमने सफाया कर दिया। अब हमारे पास ओवर ड्राफ्ट (Over draft) को निकालने के बाद १ करोड़ रुपया करीब रह गया है। हमारी ऐसी सोचनीय माली हालत जिसके लिए हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने भी शोक प्रकट किया है, सोचनीय हालत, को देखते हुए मैं नहीं समझ सकता कि हमारी इस नई रियासत का भविष्य क्या होगा ? यह जो इस प्रकार हमारे पास राजस्थान की स्थापना के साथ

साथ १७ करोड़ रुपये का रिजर्व (Reserve) आया था जिसके सफाये के लिए, जिम्मेदारी पिछले सालों में जो सरकारें थीं उन्हीं पर है। इसमें यह कहने में मुझे थोड़ा बहुत भी संकोच नहीं है कि हमारी मौजूदा सरकार जिस वक्त बनी है इसकी इसमें वास्तव में हमारे खून और पसीने से कमाये हुए रुपयों को बरबाद करने की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पिछले ३ सालों में जो सरकार थी उन्होंने इस रुपये को बहुत बुरी तरह से खराब किया है, और उनको मैं दोष भी नहीं दे सकता क्योंकि मुफ्त का माल होता है उसको अगर खराब किया जाय तो किसी का दिल नहीं दुखता है। इस प्रकार हमारी राजस्थान सरकार के पास १७ करोड़ रुपया मुफ्त में आगया जिसमें ५ करोड़ रुपये तो बीकानेर की जनता के गाढ़े खून और पसीने से कमाये हुए थे। उस रकम के साथ में जो व्यवहार किया गया है उसके लिए हमें दुःख है। इसी तरह से पुरानी जयपुर सरकार के करीब करीब ४॥ करोड़ रुपये जो बहुत ही मुश्किल से कमाये हुए थे उसके साथ में भी ऐसा ही किया गया। इस तरह उनको खराब किया जाता है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है क्योंकि मुफ्त का माल और दिले बेरहम! यह मनुष्य की प्रकृति के मुताबिक ही है। इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह देना चाहता हूं कि इसमें जो वेस्टेज (Wastage) हुआ यानी जो रुपया पानी की तरह बहाया गया उसका एक उदाहरण तो यह बताना चाहता हूं कि शुरू शुरू में जब हमारी राजस्थान सरकार बनी थी उनकी जितनी मिनिस्ट्रीज थी, उन्होंने हरेक ने एक एक मंडल बनाया था और उन मंडलों में जो जो स्केन्डल्स हुई हैं और जिन पर इस रुपये को फेंका गया है वह हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि "अंधेरी रात मां पुरसण वाली और खाओ बेटा धाप धाप।" उसको चरितार्थ करते हैं। उस समय विधान सभा तो यहां थी ही नहीं, उनसे सवाल और जवाब पूछने वाला कोई था ही नहीं। जिस प्रकार शास्त्री सरकार ने रुपया खराब किया है उसका एक उदाहरण तो यह हमारे मंडल थे और उन मंडलों में आप देखेंगे कि रेडियो और अन्य प्रकार के सामान घर घर कर दिये गये, और वह वितरण सिर्फ एक ही श्रेणी के मनुष्यों तक ही सीमित रहा। तो इस तरह से अगर ऐसे कमाये हुए रुपये को अगर सरकार फेंकना चाहे तो कोई ताज्जुब नहीं है। यह तो केवल १७ करोड़ रुपयों का ही सवाल था अगर १७ अरब रुपये भी होते तो भी मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारी माली हालत आज इस वक्त है वह इसी तरह की रहती यह तो हालत हमारे पास जो १७ करोड़ रुपयों का जो रिजर्व (Reserve) था उसकी है।

अब मैं इस साल के आय-व्ययक के मुतालिक कुछ कहना चाहूंगा। हमारे आय का ब्यौरा १६,३२,१८,००० का है और व्यय का ब्यौरा १७,२५,६६,००० है और हमारी कमी करीब ९३,५०,००० रुपये हैं। हमारे आय-व्यय के आंकड़ों में ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं बताई गई है जिसमें कि कुछ कहा जाय। यह तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अकाउन्टेंट ने अपने आय व्यय के खर्चे का ब्यौरा लिख कर एक हिसाब की बही तैयार करदी है और उसे हम सब के सामने रख दिया है और जिस पर हमारे माननीय वित्त मंत्री ने भाषण दे दिया है। हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने तो यह पहले ही

कह दिया कि यह बजट एक सारहीन है जिसमें जान और जिन्दगी तक नहीं है। तो इसके लिए कुछ ज्यादा कहने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। मैं पहले आय के ब्योरे को सामने रखता हूं। इसमें कोई नया कर, किसी खास नये कर का इस बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है सिर्फ एक संकेत मात्र ही किया गया है। एग्रिकल्चरल इन्कम टेक्स के १५ लाख रुपये अनुमान के रूप में दिखाये गये हैं। क्योंकि एग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स ऐसी चीज है जो कि एक्ट के रूप में या बिल के रूप में पास होने के लिए हाउस में आयेगा उस वक्त इसका सही रूप जाहिर होगा और उसी वक्त हम अपने विचार इस पर प्रकट कर सकते हैं। इस वक्त तो एक मद के रूप में १५ लाख लगा दिया गया है। आय के आंकड़े में तो कुछ कहने की खास गुंजाइश ही नहीं रह जाती है।

दूसरे आय के आइटम पर मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूं वह है कस्टम ड्युटीज का। कस्टम ड्युटीज की रकम इस साल में तीन करोड़ सत्तर लाख रुपये बजट में दिखाये गये हैं। मैं इस बात को जानता हूं कि हमारी माली हालत बहुत सोचनीय है मगर जब कोई सरकार राज्य का भार अपने कंधों पर लेती है तो उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि किसी तरह वह रुपया प्राप्त करे। लेकिन हमारा विधान जो भारत का हमारा विधान है, उसमें इन इंटरनल कस्टम ड्युटीज को कोई स्थान नहीं है क्योंकि इस पर ट्रेड, व्यवसाय, उद्योग और दूसरे २ ऐसे देश की समृद्धिशाली व्यवस्थाओं पर रुकावटें ही नहीं आती बल्कि यह एक अवैधानिक चीज भी है। भारत के बाहर से जो जो चीजें आती हैं उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कस्टम ड्युटी लगती है और उसका रुपया हमारी सेंट्रल गवर्नमेन्ट के खजाने में जाता है। मगर जो स्टेट्स हैं उनके लिए कस्टम ड्युटीज लेने का कोई भी बन्दोबस्त विधान में नहीं किया गया है और न यह वाजिब ही है।

राजस्थान की माली हालत सोचनीय होने की वजह से हमें पांच वर्ष का समय दिया गया है और इन पांच (५) बरसों में यह इंटर्नल कस्टम ड्युटीज हमें यहां से हटानी होगी क्योंकि जब से राजस्थान सरकार बनी है उस वक्त से कर पर कर राजस्थानी जनता पर लगाये जा रहे हैं और हमारे वित्त मंत्री ने यह बात बताई भी है कि भारत में जितनी रियासतें हैं उन सब में हर व्यक्ति के रूप में हमारे यहां सबसे ज्यादा कर है। ठीक तो यह होता कि हमारी सरकार इसे दिन ब दिन कम करती परन्तु ऐसा हुआ नहीं। मैं अपनी सरकार से यह आशा करता हूं कि यह कस्टम ड्युटीज का बहुत बडा भार राजस्थान की जनता पर डाल रही है और जो एक अवैधानिक भी हैं और वाजिब भी नहीं है। इसके बाद भारत सरकार के साथ एक फेडरेल फाइनेंशियल एग्रीमेंट हुआ। इस फेडरल फाइनेंशियल एग्रीमेंट के मुताबिक यह जो कस्टम ड्युटीज हैं उसका ५ वर्ष में हमें बिल्कुल सफाया करना है और दूसरे ऐसे सोर्सेज ढूंढने हैं जिनसे कि हमारा बजट पूरा हो सके और जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति कर सकें इस एग्रीमेंट के माफिक २ साल तो पहले से ही निकल चुके हैं और मौजूद सरकार से उम्मीद करते हैं कि राजस्थानी जनता पर कुछ बोझ हटाने के लिए कम से कम २/५ की जो कस्टम ड्युटी है उसको बन्द किया जायगा।

मेरे माननीय वित्त मंत्री मुझसे पूछ सकते हैं कि ९३।। लाख रुपये की जो कमी है उसकी पूर्ति के लिये क्या किया जाय। पर इसके लिए जवाब देना मेरे लिए लाजमी नहीं है क्योंकि उनका कर्तव्य बन जाता है कि नये कर ढूंढें। हमारा कर्तव्य तो जनता पर जो अनुचित भार और बोझ डाला जाता है उसको रोकना है। उसकी पूर्ति कैसे की जाय यह सरकार के सोचने की बात है।

कस्टम ड्यूटीज के साथ २ बजट में थोड़ा सेल्स टैक्स का भी जिक्र किया गया है। जरूरी हो तो सेल्स टैक्स लगाया जा सकता है, अगर इसके लिए पहले विधान सभा के सामने इस पर बिल सरकार पेश करेगी। मगर मैं नहीं ख्याल कर सकता कि इस सेल्स टैक्स से कस्टम ड्युटीज की ३ करोड़ ७० लाख की पूर्ती की जा सकेगी। मगर ऐसी चीज हमारे सामने जब आयेगी उस वक्त में ही इस पर विचार किया जायगा। इसलिये मेरा तो यह कहना है कि जो पहली सरकार के कस्टम ड्युटीज के कर हैं उसे उसी तरह जारी रखना उचित नहीं है। इस साल में २/५ कम कर देना चाहिए था।

इस कस्टम ड्यूटीज के साथ ही मैं जनता की जो दूसरी तकलीफ है, उसका जिक्र करना चाहता हूं और वह यह है कि जो शराब पब्लिक के पीने के लिए बेची जाती है, उसमें जो सरकार ने मौजूदा प्रणाली स्वीकृत की है वह अच्छी नहीं है। यह शराब को बेचने वाले हमारे ये राजस्थानी कलाल कहे जाते हैं और उनका यह पेशा पीढ़ियों से चला आ रहा है।

कांग्रेस सरकार यह समझती है कि शराब एक बहुत बुरी चीज है, उसको उत्तेजना नहीं देना चाहिये; किन्तु किसी चीज का अगर ज्यादा उपयोग किया जायगा तो वह भी नुकसान ही करेगी । वस्त्र पहनने की है अगर इनका भी ज्यादा उपयोग किया जायगा तो यह भी नुकसान ही करेगा तो अगर शराब को उचित रूप में काम में लिया जाय तो इसमें कोई हानि नहीं है । यह मैं कभी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि शराब हानिकारक चीज है। दुनियां के हर कोने में इसका उपयोग किया जाता है।

राजस्थान की जनता जो शराब पीने की आदी है उसके साथ इस प्रकार का अनुचित व्यवहार करना हमारी सरकार के लिये मैं, तो कहूंगा कि उचित नहीं। रुपया पैदा करने के लिये अगर हमारी सरकार अनुचित और उचित बातों पर ध्यान नहीं देना चाहती और यह चाहती हो कि किसी प्रकार भी रुपया पैदा किया जावे तो यह उचित नहीं होगा, तो मैं कहूंगा कि सरकार अच्छा कदम नहीं उठा रही है । शराब बेचने वालों को फेअर रेट सिस्टम के जरिये लाइसेन्सेज इस्यू किये जावें, तो पब्लिक को जिस चीज के लिये पैसे देने पड़ते हैं एक शुद्ध और अच्छी चीज मिलती मगर सरकार इस बात का ध्यान नहीं रखती है। एक दुकान की कीमत जो पांच हजार रुपया आनी चाहिये वही दुकान कम्पीटिशन से ५० या ६० हजार रुपये तक ठेके पर दे दी जाती है और कलाल लोग जिनका कि यह पेशा होता है मुंह देखते रह जाते हैं और दुकान चली जाती हैं। इसलिये वे खुद बरबाद हो जाते हैं। उनके खुद

के खराब होने के अलावा कम्पीटिशन के बाद में जनता को जो शराब दी जाती है उसमें ५० प्रतिशत पानी मिला दिया जाता है। यदि पानी नहीं मिलाया जाता है तो उसको काले बाजार (ब्लेक मारकेट) से बेची जाती है और वह दुगनी तिगुनी कीमत से बेची जाती है। जब इसकी सूचना कर्मचारियों को मिलती है और वो खुद इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार कम्पीटिशन में दुकानदार को नुकसान रहा है फिर भी उनको बड़ी बड़ी सजा देते हैं। इससे करप्शन और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता है। इसमें मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र मुझे भी इस बात पर दोष देंगे क्योंकि यह महकमा मेरे पास भी रह चुका है। इसलिये हमारे जो अधिकारी और अफसर होते हैं उनको भी रिश्वत और घूसखोरी का काफी अवसर मिलता है। इन सब बातों को देखते हुए यह उचित होगा कि हमारी जनता जितने पैसे देवे उसके अनुसार ही उनको सही तौर से चीज मिले।

यह तभी हो सकता है जब फेअर रेट सिस्टम से दुकानदारों को लाइसेन्स दिये जावें। हम लोग इस चीज को बहुत लाइटली (Lightly) लेते हैं। अगर आप जनता से पूछें तो आपको मालूम होगा कि उनको एक रुपये की चीज के लिये पांच रुपये देने पड़ते हैं। यह तो मैं समझता हूं कोई वाजिब बात नहीं। इससे हम लोग करप्सन, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते हैं। इस संबन्ध मेरे मित्र शायद यह कहें कि दूसरी रियासतों में, राजस्थान के अलावा यही सिस्टम चालू है। मैं इस संबन्ध में यह कहूंगा और मैं मानता हूं कि बहुत सी जगह ऑक्शन यानि नीलाम का सिस्टम है। मगर जहां पर ऑक्शन का सिस्टम है वहां और यहां पर फर्क यह है कि बिक्री की कीमतों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वहां पर ओपन कम्पीटिशन के बाद लाइसेंसदार जिस कीमत से बेचना चाहे बेच सकता है। मगर यहां पर यह बात नहीं है। यहां पर निश्चित कीमतों पर ही बेच सकता है और जो ऐसा नहीं करता उसको सख्त सजा दी जाती है। मैं समझता हूं कि जो शिकायतें कलालों की इस सम्बन्ध में है वह उचित है और सरकार को, जो तरीका काम में लिया जाता है, उसमें परिवर्तन करना चाहिये और इसके साथ साथ जो बजट इस साल का जल्दी में बना है उसमें भी परिवर्तन कर देना चाहिये। यह बात मौजूदा सरकार के हाथ में है और मैं आशा करता हूं कि राजस्थान की जो जनता शराब पीने की आदी है उसके लिये सरकार अवश्य कृपा करेगी। अब आय के मुतल्लिक दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर हमारी सरकार इस बात पर तुली है कि उचित या अनुचित का ख्याल न करके हमें तो किसी तरह से रुपया लाकर बजट को पूरा करना है तो मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा कि मैं से उचित नहीं समझता। हम को जरूर किसी तरह से अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिये मगर उचित तरह से ही आमदनी को बढ़ाना उचित है।

अब मैं आपको मोटर वेहिकल्स एक्ट के बारे में, जो २६ लाख की आमदनी हमारे बजट में दिखाई गई है, कुछ कहना चाहता हूं। कायदे के माफिक जहां तक मैं समझता हूं कि बस पर जो टैक्स है वह दो हजार रुपयों का टैक्स लगाया जाता है। अजमेर में २०० रुपये का, कहीं पर

३००–४०० और कहीं कहीं ५०० का टैक्स है। जहां तक मेरा ख्याल है भारतवर्ष में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां ७५० से ज्यादा टैक्स हो। यू० पी० पंजाब आदि में जहां ७५० का टैक्स है वहां इतनी अच्छी सड़कें है और दूसरी सहूलियतें मोटर वालों को मिल रही है जो यहां पर नहीं मिलती है। यहां की सड़कें ऐसी हैं जिन पर कुछ ही महिनों चलने से बसें खराब हो जाती है: वहां दूसरे प्रान्तों की सड़कें ऐसी हैं जहां वे दो तीन साल तक चल सकती है। यहां पर २००० रुपयों का लगान मोटरों पर लगाया है वह बहुत अनुचित है। यह लगा कर बेशक सरकार ने बहुत कुछ रुपया कमाया है। मगर जैसा कि पहले मैं कह चुका हूं अनुचित रूप से रुपया कमाना ठीक नहीं।

अब आय के प्रति एक चीज के लिये मैं इस वक्त संकेत मात्र करना उचित समझता हूं। हमारी आय बढ़ाने में बहुत कुछ गुंजायश है और बढ़ाई जा सकती है। मगर हमारे कुछ उच्च महानुभाव राज की आय की वृद्धि के बरखिलाफ कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। मैं एक मात्र इसका संकेत देकर कहना चाहता हूं। वह मैं उस वक्त कहूंगा जिस वक्त में डिमान्ड पर बहस होगी।

अब मैं व्यय के मुतल्लिक कुछ कहना चाहता हूं। मैं जो कुछ कहूंगा उससे सरकार को यह बतलाने की कोशिश करूंगा कि मेरी तजबीज के माफिक खर्चे में बहुत कुछ तब्दीली की जा सकती है और बहुत कुछ कुव्यवस्था जो हमारी शासन प्रणाली में फैली हुई है और थी हमारे ख्याल से खर्चे में बहुत कुछ कमी हो सकती है। सर्व प्रथम मैं इस विषय पर आऊं तो यह उचित ही होगा कि जो इस सरकार में सबसे ऊंचे अधिकारी हैं हमारे माननीय मंत्रीगण वे यदि चाहें तो इसमें सहायता दे सकते हैं। हमारी सरकार, जैसा कि सदस्यों को विदित ही है कांग्रेसी सरकार है और महात्मा गांधी के सिद्धान्तों के प्रति वह अटल विश्वास रखने वाली है। शुरू से महात्मा गांधी का यह ख्याल था कि हमारे भारतवर्ष जैसे भूखे और गरीब देश के ऊंचे से ऊंचे अधिकारी को ५०० रुपये से ज्यादा वेतन नहीं मिलना चाहिये और न लेना चाहिये। ऐसा व शुरू से कहते आ रहे थे लेकिन जब कि दूसरी राउन्ड टेबल कान्फ्रेन्स हो रही थी और जब कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में वे विलायत पहुंचे उस वक्त उन्होंने जो स्पीच दी उस वक्त मुझे भी वहां एक सेक्रेटरी के रूप में जाने और सुनने का मौका मिला था। मैंने अपने कानों से राउन्डटेबल कान्फ्रेन्स में हुए महात्मा गांधी के वक्तव्य को सुना।

मैंने अपने कानों से गान्धीजी का व्याख्यान राउन्ड टेबल कान्फ्रेन्स में अपने विस्तार से सुना। वे बड़े जोर से इस बात पर डटे रहे कि भारतवर्ष की गरीब हालत होने की वजह से जहां तक हो सकेगा अगर इसमें उनका हाथ रहेगा तो वे ५००) रुपये से अधिक भारतवर्ष के किसी ऊंचे से ऊंचे स्थान पर काम करने वाले को लेने नहीं देंगे। उनके विपरीत मिस्टर जिन्ना जो दूसरे पोइन्ट आफ व्यू (दृष्टिकोण) का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन्होंने कहा था कि यदि राज्य प्रणाली को सुचारु रूप से चलाना है तो अगर कोई भी जिम्मेवार आदमी आगे काम करने के लिए आयगा कम से कम ५ हजार रुपये वेतन पायगा और यदि यह

वेतन नहीं होगा तो कोई भला आदमी आगे नहीं आयगा। गांधी जी का ध्येय था कि कोई भी व्यक्ति आयगा तो उसको पेट भरने के लिए ५०० रुपया काफी होगा और जिन्ना का यह सिद्धान्त था कि वास्तव में कोई काम करने वाला आयगा तो उसके लिए इतना वेतन दिया जाय जितना कि उसका हक है। यहां तक कि तेजबहादुर सप्रू ने महात्मा गांधी से पूछा कि अगर ५ हजार रुपये वेतन का प्रोवीजन किया होता तो वे क्या करते। गांधीजी ने उत्तर दिया कि वे उसी वक्त पोरबन्दर चले जाते जहां उनका जन्मस्थान था। महाराजा गंगासिंहजी को वे एडमायरर समझते थे और उनको तरफ देख कर कहा कि यदि मुझे पोरबन्दर में स्थान नहीं मिलेगा तो मैं बीकानेर के रेगिस्तान में छुप जाऊंगा। मैं तो यह सरकार से नहीं कह सकता कि वे ५०० रुपया लें लेकिन इस बात का संकेत देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जो हमारे देश में राष्ट्रपिता थे, जो दुर्भाग्य से आज वे नहीं रहे, उनका यह आइडिया (ख्याल) था कि हमारे मंत्री गण जो उनके सिद्धान्तों के मानने वाले हैं इस बात पर जितना अमल कर वह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इन मंत्रियों के विषय में दो चार बातें मुझे और कहनी है। अगर उन्हें वाकई हमारे खर्चे में कमी करने की चिन्ता है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे प्रान्त की माली हालत को देखते हुए जितने कम मंत्री रखे जायं उतना अच्छा है। मैं समझता हूं मेरे माननीय मित्र, मुख्य मंत्री को इसमें शायद कष्ट का अनुभव हो (वे यह सोचते होंगे कि यदि हरेक का प्रतिनिधित्व न रखा गया तो मंत्रिगणों में विद्रोह हो जायगा। इसलिये वे इस तरह का प्रतिनिधित्व रखना चाहते हैं। इसमें मंत्रिगणों का बड़ा फैलाव रखना पड़ता है। अगर हमारे देश की माली हालत को देखना है तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे प्रान्त में कम से कम ५ मंत्री और ज्यादा से ज्यादा ७ मंत्री रखे जा सकते हैं और रखे जाने चाहिये। इससे ज्यादा मंत्रियों को रखना रुपये की फिजूल खर्ची करना है। उनके पास कुछ काम नहीं रह जाता है, सिवाय इसके कि प्रान्त की आमदनी पर खर्चा डालें।

दूसरा खर्च जिसका ब्योरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह है एक एक मंत्री के पीछे १५-१५ कर्मचारियों का। शायद हमारे मित्र यह नहीं माने तो मैं इस बात का ब्योरा रख सकता हूं एक मंत्री के साथ उनका प्राइवेट सक्रेटरी, एक पर्सनल असिस्टेन्ट, एक अर्दली एक चपरासी उनके घर के लिए दो चपरासी, साईकिल सवार २, बंगले पर २ माली, ४ पुलिस के सिपाही रहते हैं। इस तरह से एक मंत्री के पीछे कम से कम १५ कर्मचारी हो जाते हैं। पहले से ही जब हमारे प्रान्त की कमजोर माली हालत है तो इस बात का हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ता है। अगर माननीय मंत्रीगण इसमें कमी करें तो प्रति मंत्री के पीछे कम से कम महिने के ४ से पांच हजार तक रुपये की बचत हो सकती है। मगर आप माने या न माने किन्तु यह तथ्य आपके सामने है; अगर उन्हें अपने प्रान्त के माली हालत की, चिन्ता है तो वे जरूर इस बात पर विचार करेंगे।

दूसरा सवाल जिसके लिए मैं माननीय मंत्रियों का ध्यान दिलाना चाहूंगा वह है हमारे माननीय मंत्रियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मोटरों के संबन्ध में।

मैं यह मानता हूं कि मोटरें उनके लिए हों: यह उनकी शान है और साथ साथ हमारे प्रान्त की भी शान है। उनके अनुकूल शान तो होनी ही चाहिये। परन्तु एक ऐसी प्रणाली पड गई है कि मोटरों का प्रयोग बड़ी निर्दयता से किया जाता है। अगर मेरे मित्र न मानें तो वे इन्क्वायरी कमेटी: (जांच समिति) बैठायें जिससे यह भी सिद्ध हो सकता है। मैं यह उचित नहीं समझता कि छोटी छोटी चीजों को हाउस के सामने लाया जाय। अगर मोटर गैरेज के आंकड़े देखे जायें तो बहुत बडी रकम पेट्रोल और दूसरी चीजों के लिए खर्च किया जाता है। हरेक मंत्री ऐसा नहीं करते हैं लेकिन जो नये मंत्री आते हैं उनको शोक होता है मोटरें चलाना सीखने का और यह मानी हुई बात है कि मोटर सीखने में मोटर अक्सर खराबें हो जाया। करती है और टूट भी जाती है। गत तीन सालों में हमारे मंत्रियों ने इस प्रकार सीखने ही सीखने में कई मोटरों को तोड दिया वे मोटरें गेरेज में भेज दी जाती है और उनकी जगह दूसरी नयी मोटरों के लिए आज्ञा देदी जाती है। इस तरह से पिछले तीन साल में लाखों रुपया मोटरें सीखने सीखने ही में खराब कर दिया गया। इस पर कुछ रूकावट होनी चाहिए यह मेरी हाउस से निवेदन है। यह तय होजाना चाहिये कि मोटरें जरुर दी जाय लेकिन उसके साथ साथ तोड़ भांग उनके पेट्रोल और मोबिल ऑइल आदि दूसरी चीजों के लिए महिने में कुछ रुपये उन्हें अलाउन्स के रूप में दिया जाना चाहिये। इस विषय में मेरी तजवीज है कि २०० रुपया माहवार मोटर के इस्तेमाल के लिए हरेक मंत्री को दिया जाना उचित होगा उसी में उसकी मरम्मत आदि भी शामिल है। २ लाख २३ हजार रुपया मोटर गेरेज में मिनिस्टरों और आफिसरों के इस्तेमाल के लिए रखा गया है। इस तरह से लाखों रुपया इस मद में बचाया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री इस बात पर जरुर ध्यान देंगे और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री मनमाने तौर पर मोटरों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। और इसमें जो इतना खर्चा किया जा रहा है वह फिजूल है। इसमें बहुत कुछ बचत की जावे। मेरी तजवीज है कि २०० रुपया मासिक अलाउन्स मिनिस्टरों को देना काफी है।

अब मैं एक ऐसे महकमें के मुतल्लिक कहना चाहता हूं जिसका मुझे पिछली सरकार में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह है फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट इसके लिए मौजूदा सरकार को दोष नहीं दे सकता। लेकिन आयन्दा वे इस बात का ध्यान रखें इसलिये मैं दो चार शब्द इस विषय में कहना चाहता हूं। सब से पहले एक नया सिस्टम (तरीका) राजस्थान बनने से आफिसरों के सरप्लस करने का पड़ा है। वह बन्द होजाना चाहिये। बीसियों अफसर जो उच्च उच्च पदोंपर आसीन थे; ऊंची ऊंची तनख्वायें पा रहे हैं महिने के डेढ हजार रुपये महिने घर बैठे ले रहें हैं; उनसे कुछ काम नहीं लिया जाता है। उनको तनख्वाह बहुत मिल रही है। यह प्रथा जल्द बन्द होनी चाहिये। इसके अलावा ट्रान्सफर्स (तबादले) किसी कारण से हो तब तो कोई बात नहीं। नार्मली टान्सफर्स जो हो रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री से मैं निवेदन करुंगा कि उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये और इस पर कुछ सख्ती करने की जरूरत

है। ट्रेवलिंग अलाउन्स की आमदनी पर भी इसका असर पड़ता है; इससे हमारे बजट में काफी बचत हो सकती है।

फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट (वित्त विभाग) के प्रति जो सब से बडी शिकायत है वह यह कि राजस्थान बने तीन साल हो गये किन्तु रिटायर किये हुए आदमियों की संख्या जो सैकडों की तादाद में आपको मिलेगी उनको आज तक पेन्शन नहीं मिली। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसके मुत्तल्लिक जितनी कोशिश मुझे करनी पड़ी और मेरे माननीय मित्र, श्री जयनारायण व्यास जो हमारे मुख्य मंत्री थे, को कोशिश करनी पड़ी वह कोशिश करके बैठ गये। बार बार कह कर रह गये। प्रजातंत्र का राज जरुर है लेकिन ब्युरोक्रेसी (नौकरशाही) वैसी ही है जैसी कि अंग्रजों के वक्त में थी। हम लोगों की एक भी चलने नहीं दी आज तक सैकड़ों आदमी ऐसे ही बिना पेंशन लिये ही मर गये। अगर माननीय वित्त मंत्री और हमारे मुख्य मंत्री इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि जिनको पेन्शन मिलना है वे फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की कृपा से आजन्म पेन्शन नहीं पा सकेंगे। इस बात की ओर खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। पेंशन और ग्रेचुएटी (Pension and Gratuity) के अलावा हमारे यहां सैकड़ों की तादाद में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पांच-पांच, छः छः बारह-बारह महीने और डेढ साल से वतन नहीं मिल सका है। आकाउन्टेन्ट जनरल के एतराज के कारण कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर माननीय वित्त मंत्री ध्यान दें तो बहुत अच्छा हो।

दूसरे हमारे विधान के अनुसार हमारे पर एक नयी प्रणाली लाद दी गई है, वह है अकाउन्टेन्ट जनरल, राजस्थान सरकार जो किसी प्रान्त की सरकार के प्रति जिम्मेवार नहीं होता। इससे अकाउन्टेन्ट जनरल के दफ्तर में धांधली होती है। एक गरीब आदमी जिसका बडा खानदान है और जिसको ५० रुपया मासिक वेतन मिलता है अकाउन्टेन्ट जनरल के दफ्तर से उसकी तनख्वाह का बिल लौट जाता है और फिर उसमें सुधार करके भेजा जाता है तो फिर कोई नया एतराज करके लौटा दिया जाता है। इस प्रकार उसे समय पर वेतन नहीं मिलता।

इसका मूल कारण यह है कि अकाउन्टेन्ट जनरल हमारी सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं है और उनका सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से सीधा संपर्क होने के कारण वे बिल्कुल यहां वालों की परवाह नहीं करते। एक ओब्जेक्शन का जबाब चार महिने के बाद उनके पास पहुंचता है और फिर वे कोई दूसरा ओब्जेक्शन लगा देते हैं और जब उसका उत्तर जाता है तो कोई तीसरा ओब्जेक्शन लग जाता है। इस तरह ५० रु० वेतन पाने वालों को साल भर तक वेतन नहीं मिले तो फिर उनका खर्चा किस तरह चल सकता है। यह आज के युग में एक बहुत बुरी बात है। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यदि वे इस सम्बन्ध में कुछ कर सकें तो गरीब कर्मचारियों का बहुत कुछ कष्ट निवारण हो सकेगा।

अब मैं एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट के मुत्तल्लिक सरसरी तौर से जिक्र करना

चाहता हूं। हमारे बजट में २ करोड़ ५० लाख रुपये शिक्षा विभाग के लिये रखे गये हैं। यदि उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाय तो मैं समझता हूं कि यह रकम काफी है और हमारे प्रान्त के लिये बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन दुःख की बात यह है कि इस रकम का सुचारु रूप से प्रयोग करने के बजाय प्रचार कार्य में या जहां के बारे में अफसर दिलचस्पी लेते हैं और प्रान्त के जिस हिस्से से वे आये ह उसी हिस्से की बहतरी का ख्याल करके काम किया जाता है यह बुरी बात है। यदि सारी रकम का सुचारु रूप से उपयोग किया जाय तो यह इतनी रकम है कि इससे हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यह कहूंगा कि पिछली सरकार ने किस कारण से, यह मैं नहीं कह सकता जहां पर एक ही विद्यार्थी था वहां पर भी नया कालेज स्थापित करने की कोशिश की ताकि उस विद्यार्थी को फायदा पहुंचे और उसके पीछे चार पांच प्राफेसरों को नियुक्त किया। मैं समझता हूं यह बहुत बुरी चीज है और इस तरह की चीजों में व्यर्थ खर्च किये जाने वाले हजारों, लाखों रुपयों की बचत की जाकर अन्य अच्छे कार्य में खर्च किये जा सकते हैं। जहां पर लाजमी तौर से खर्च किया जाना चाहिये था वहां पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि रायसिंहनगर में, जिस समय इन्टीग्रेशन हुआ था उससे कुछ समय पहले हाई-स्कूल की बिल्डिंग कुछ लाख रुपये लगा कर बनाई थी और उस बिल्डिंग का; जो हाल बनाया गया था उसकी छत के लिये पट्टियें ला कर रख दी गई थी, इसी बीच में राजस्थान बन गया था। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर जो पट्टियें खरीदी हुई पड़ी थी वे आज तक ज्यों की त्यों पड़ी हैं और उस हाल की छत आज तीन वर्ष खतम होने आये हैं पर अब तक नहीं बन सकी। विद्यार्थी वगैर छत के हॉल को काम में ला रहे हैं। यदि हमारी सरकार यह ख्याल करती कि ज्यादा से ज्यादा उसमें ५०० रुपये का खर्च था, क्योंकि पट्टियें तो वहां पर पड़ी ही है जो बर्बाद हो रही है, तो इस हाल की छत बन गई होती। इस हाल पर आज तक छत नहीं है। यदि हमारा शिक्षा विभाग हमसे शाबाशी चाहे तो हम कैसे दें? यह उनका सबसे बडा दोष है यदि ऐसी शासन प्रणाली रही तो राजस्थान की जनता विद्रोह करे तो मैं दोष नहीं दूंगा। यह छोटी बात जरूर है पर उसका महत्व बहुत अधिक है। लेकिन यह कहना पड़ता है कि जहां जरुरत नहीं है वहां लाखों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। लाखों रुपया खर्च करने पर भी अफशोस नहीं होता लेकिन जहां जरूरत होती है वहां एक पैसा भी खर्च करने को तैयार नहीं होते। सरकार को यह पोलिसी बदलनी पड़ेगी; यदि नहीं बदलेगी तो जनता को कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी मिसाल में आपके सामने रखूंगा राजगढ की। वहां पर बीकानेर रियासत के समय हाई स्कूल बनादी गई थी। मुझे करीब ४–५ महीने पहले वहां जाने का मौका प्राप्त हुआ था। वहां का हेडमास्टर मुझे जानता था। मैं पहले इस स्कूल को खोलने के लिये बीकानेर रियासत के मंत्री की हैसियत से गया था। जब म ४–५ महीने पहले वहां गया तो मुझे वहां की हालत देख कर बड़ा दुःख हुआ। वहां लड़कों के लिये बैठने का कोई अच्छा स्थान नहीं था। धूप में और वर्षा में खुली जगह में बैठना पड़ता था। किसी तरह की सफाई नहीं थी और

जगह जगह से चूने का प्लास्टर गिर रहा था, भींतें गिरने की हालत में थी। मैंने हेडमास्टर को पूछा कि आप इसके बारे में परवाह क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि मैंने डाइरेक्टर आफ एज्यूकेशन को, चीफ इंजीनियर आदि सबको जिनको कि लिखना जरूरी था, कई दफा लिखा लेकिन कोई इसकी परवाह नहीं करते। उन्होंने उत्तर में कहा कि मैं अब ऐसी बिल्डिंग में विद्यार्थियों को पढाने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हूं। गवर्नमेन्ट की यह कार्यशिथिलता उचित नहीं है। हम लोग जिस मतलब को लेकर यहां आये हैं उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है लेकिन उसके लिये बन्दोबस्त करना लाजमी है।

राजस्थान बन जाने से पहले हमारी भिन्न भिन्न रियासतों की ओर से स्कालरशिप देकर कई विद्यार्थी इंगलेंड, अमेरिका आदि देशों में पढ़ने के लिये भेजे गये थे। उन विद्यार्थियों पर हजारों रुपये खर्च किये गये थे। उन कुशाग्र-बुद्धि विद्यार्थियों ने भारतवर्ष की विश्वविद्यालयों में नाम पाया था और इंगलेंड, अमेरिका आदि की विद्यालयों में भी अच्छे क्रेडिट के साथ उन्होंने डिग्रियें हासिल की और जब वे राजस्थान बनने पर वापिस आये बाद तो उनका यहां क्या हाल हुआ यह आप सब जानते हैं। वे विद्यार्थी जो पाश्चात्य देशों में अच्छे नम्बरों से पास हुए और जिन्हें अमेरिका आदि में अधिक तनख्वाह पर काम मिल सकता था वे देश प्रेम के कारण वहां न रह कर वापिस अपनी मातृ-भूमि में आये। जो फ्रास्ट्रेशन और नाउम्मीदी उनके बारे में हो रही है उस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार इस बारे में अपना कर्तव्य समझे। उनका निर्वाह करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार यह चीज नहीं सोचती है, यह बहुत बुरी बात है। मैं उसके लिये सरकार की सराहना नहीं कर सकता। इसके लिये मौजूदा सरकार को मैं दोष नहीं देना चाहता लेकिन उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो युनिवर्सिटियों में फर्स्ट क्लास आये हैं उनको काम पर लगाना चाहिये। आप उनसे कम डिग्रियों वालों को, जो बाहर से आते हैं, काम पर लगा देते हैं। यहां वालों के लिये यह मिसाल ठीक प्रतीत होती है जिसका मतलब है कि 'घर का जोगी जोगना और बाहर का सिद्ध"। जिन पर हमने हजारों रूपये खर्च किये हैं उनको आप भूल जाते हैं। यदि आप यह पोलिसी और नीति ठीक नहीं करेंगे तो आपकी सरकार को कोई श्रेय नहीं देगा।

इसके बाद में थोड़े से रूप में जो यह सिंचाई की व्यवस्था है, जिसके बारे में हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो कही है, उसके बारे में दो चार शब्द कहना चाहता हूं। भाखरा डेम और चम्बल प्रोजेक्ट के मुताल्लिक दो चार शब्द कहना चाहता हूं। चम्बल प्रोजेक्ट के मुताल्लिक तो मैं इतनी जानकारी नहीं रखता हूं, मगर जहां तक मुझे सुनने में आया है इसमें जो अभी रुपया खराब किया जाता है एक स्केन्डल (Scandal) बन गया है। अनेकों इन्जीनियर उसकी स्कीम बना चुके हैं; लाखों रुपये उस पर लगा दिये हैं। उसमें एक इन्जीनियर के बाद जब दूसरा इन्जीनियर नियुक्त होता है तो दूसरे वाला पहले की स्कीम को खराब बता देता है और फिर अपनी नई स्कीम बनाता है। तीसरा इन्जीनियर जब आता है तो वह दोनों को रद्द कर देता

है और कहता है कि एक नई स्कीम (योजना) बनाई जाय। अगर हमारी सरकार इस बात को जांच करे तो उसको पता लगेगा कि लाखों रुपये इस तरह से बरबाद कर दिये गये हैं। इस कारण अगर हमारी माली हालत सोचनीय हो गई है तो इसमें किसी का दोष नहीं है। दोष हमारा है जो इस तरह अन एक्सपीरियन्सड, नाकामयाब, अयोग्य इन्जीनियरों को काम सौंपा जाता है। इससे तो लाखों करोड़ों रुपयों का यही हाल होगा। भाखरा डम के मुताल्लिक मुझे कुछ जानकारी है। उसके संबन्ध में सरकार के सामने अपने विचार रखता हूं। भाखरा डेम से जो सिंचाई होगी वह बीकानेर डिवीजन के लिए एक बहुत ही महत्व की चीज बनेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी पिछली सरकार ने बिलकुल ही उसे महत्व नहीं दिया है। बीकानेर राज्य के वक्त में यह भाखरा डेम का सिलसिला चल गया था, उस वक्त सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट (केन्द्रीय सरकार) से जितनी भी बातचीत होती थी तो उस वक्त हजारों रुपयों की फीसें देकर बड़े से बड़े इन्जीनियर और कानून जानने वाले को बुलाते थे और बहस में वह हिस्सा लिया करते थे। एक वक्त यह काम मेरे सुपुर्द था। हमारे यहां जो कुंवर सेन एक नामी चीफ इन्जीनियर थे उनको ले गये और अभी सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस महाजन हैं उनको हजारों रुपये देकर पैरवी करने के लिए ले गये और पंजाब गवर्नमेन्ट के लिए यह सिद्ध कर दिया कि वह गवर्नमेन्ट एक अयोग्य गवर्नमेन्ट है और उनके हाथ में यह काम नहीं दिया जाय और केन्द्रीय सरकार को दस्तन्दाजी करने के लिए मजबूर कर दिया। मगर बाद में जो कार्रवाई राजस्थान बनने के बाद में की गई है वह बहुत खराब रही है। वह किसी भी प्रकार से हमारी वर्तमान गवर्नमेन्ट पर आक्षेप नहीं है मगर जो डेप्युटेशन इस काम के लिए भेजा गया था उसमें ऐसे सज्जन भेजे गये थे जो कि अंग्रेजी नहीं जानते थे और उनके साथ इन्जीनियर भेजे गये थे वह एग्जिक्युटिव इन्जीनियर डिसकशन करने के लिए, बड़े बड़े चीफ इन्जीनियरों से डिसकशन करने के लिए, उनसे बहस करने के लिए भेजे गये थे। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह हमारी राजस्थान सरकार इस प्रकार के डेप्युटेशन भेज कर कोई फायदा उठा सकती है? यह बहुत ही ताज्जुब है। यह कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता था। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा यह निकला कि हमारा रिप्रेजेन्टेशन जो भाखरा डेम के लिए था, वह उस सारी स्कीम में से (राजस्थान का शेयर) हटा दिया गया। जब यह प्रश्न पार्लियामेन्ट में आया तो, जब कि पार्लियामेन्ट का मैं मेम्बर था तो मैंने और मेरे कुछ कांग्रेसी साथी थे उन्होंने वहां आपत्ति उठाई कि यह हमारे राजस्थान के साथ अन्याय क्यों किया जाता है। तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट (केन्द्रीय सरकार) की तरफ से यह कहा गया कि राजस्थान को जो डेप्युटेशन आता है उसके जो प्रमुख होते हैं वह अंग्रेजी नहीं जानते हैं और हरेक बात के लिए अपने असिस्टेन्ट इन्जीनियर या एग्जिक्युटिव इन्जीनियर से पूछते हैं कि क्या कहा अंग्रेजी में। इस तरह के डेप्युटेशन भेजकर इस प्रान्त को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं आप? चीफ इन्जीनियर तो दूर, वहां बाहर से कोई अच्छा कानून जानने वाला या बहस करने वाला आदमी आपसे भेजा नहीं गया और आप चाहते हैं भाखरा डेम जैसी महत्वशाली योजना में सफलता प्राप्त करना। यह कैसे हो सकता है? ऐसा करके कभी भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।

इसलिये मैं अपने माननीय मित्र से निवेदन करूंगा कि जब कभी इस तरह से डेप्युटेशन भेजा जाय तो इस बात पर खास तौर से ध्यान दिया जाय ।

फेमिन रिलीफ (दुर्भिक्ष निवारण) के मुतालिक दो चार शब्द मैं यहां कहना चाहता हूं । उसके लिए हमारे बजट में यह कहा गया ह कि पिछले ३ सालों में १ करोड़ ८६ लाख रुपये खर्च किये गये ह। १ करोड़ ४६ लाख रुपये जो दुभिक्ष के लिए रखे गये हैं वह राजस्थान के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। पिछले समय दुर्भिक्ष कितनी भयंकरता से हुआ था? राजस्थान से पहले जो हमारी छोटी २ रियासतें थीं वही दुर्भिक्ष में १, १॥ करोड़ रुपये पब्लिक (जनता) के लिए खर्च कर देती थी तो आज तो आपका बहुत बड़ा प्रान्त है। आप इसमें क्या गौरव करते हैं कि आप १ करोड़ ८६ लाख रुपये खर्च करते हैं। इससे दुर्भिक्ष निवारण में बहुत कम सहायता मिलती है। इस बात को मैं मानने को तैयार हूं कि जो रिलीफ कमिश्नर आपने नियुक्त किये हैं वह फर्स्ट क्लास आफिसर हैं उनके लिए सबको विश्वास है । मगर जिस प्रणाली से यह कार्य किया जाता ह उससे किसी को सहायता नहीं मिलती है । आप शायद नहीं मानेंगे इस बात को लेकिन मैं एक से ज्यादा उदाहरण यहां नहीं देना चाहता हूं, और सिर्फ इतना ही कह कर अपने विषय पर आजाऊंगा कि बीकनेर में एक ग्राम है जहां पर बड़ा दुर्भिक्ष पड़ रहा है उसकी सहायता के लिए हमारे कमिश्नर साहब से रकम मन्जूर हुए तो ४ महीने होगये लेकिन उनको रुपये अभी तक नहीं मिले । अगर आप इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं, अगर आप एनक्वायरी बैठायें तो मैं सिद्ध करने के लिए तैयार हूं कि ४-४ महीनों तक सहायता नहीं मिलती है। इस बात में कुव्यवस्था और रेड टेपिज्म जिम्मेवार है। कलेक्टर साहब के पास जाओ तो वहां से कहा जाता है कि एस० डी० ओ० के पास जाओ, वहां जाते हैं तो वहां से कहा जाता है कि तहसीलदार साहब के पास जाओ और इसमें जो करप्शन (भ्रष्टाचार) फैला हुआ है उसका भी बहुत कुछ हाथ है। यह सहायता तो मैं समझता हूं कि नाम मात्र की सहायता है। १ करोड़ ८६ लाख में से आधी रकम भ्रष्टाचार में और धूल में मिल जायगी और बाकी जो रकम रह गई है उस रकम में से कहां तक सहायता मिलेगी यह मैं नहीं कह सकता ?

अब मैं रोड्स और बिल्डिंग्ज (Roads and Buildings) के बारे में दो चार शब्द कहना चाहता हूं। मेरी जानकारी तो सिर्फ बीकानेर तक की है; उसमें भी जो है वह मैं एक बात बतला कर अपना भाषण जल्दी ही खत्म करना चाहता हूं। वह यह है कि हम लोगों की पहले जितनी रियासतें थी उस वक्त हमारी माली हालत के मुताबिक हमनें जितनी सड़कें बनानी थी वह बनाई। दूसरी सड़कों की तो बात ही क्या खास सड़कें जो बीकानेर से नोखा तक की है तथा वहां से बीदासर व सुजानगढ़ तक की हैं उनका यह हाल है कि जब से सड़कें बनीं है आज तक उनकी मरम्मत तो दूर वहां उनकी ओर कोई तवज्जुह नहीं दी गई है। २, ३ साल से तो उनमें इतने बड़े गड्डे पड़ गये हैं कि ऊंट के ऊंट गायब हो जायं। कितने ही आदमियों के वहां पर एक्सिडेंट

हुए हैं। अगर आप जांच करना चाहें तो मेरे एक माननीय मित्र, जो कि यहां पर आपके पास में ही मौजूद हैं वह इलेक्शन के दौरे में उन खड्डो में गिर गये और उनकी दशा श्री रामकरण जोशी जैसी होते होते बची; उनसे पूछ लिया जाए।

अगर यही दशा हमारी मेन (मुख्य) सड़कों की रहेगी तो मैं, हमारे मंत्रीजी को जिनका यह काम है, किसी भी हालत में श्रेय देने के लिए तैयार नहीं हूं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि कई इमारतें हमारे यहां ऐसी मिलेंगी, जिनके कि जब से इंटीग्रेशन हुआ है, आधी ईंटे लगी रह गईं, आधा चूना लगा हुआ रह गया। ७ अप्रेल १९४९ को यह इंटीग्रेशन हुआ, तो मैं यह दिखला सकता हूं कि आज भी उसी तरह से वे इमारतें जब से पड़ी हुई हैं। किन्तु उस पर कोई तवज्जुह नहीं दी जा रही है। ३, ३ बारिशें उस पर बरस चुकी है। मगर अफसरों की नींद खुले तब हो। उनकी ओर ध्यान देने से जनता का इससे बहुत कुछ फायदा होगा। इसके लिए मुझे सख्त ऐतराज है। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उस दिन स्पोर्टिंग की जो ऑफर दी थी कि अगर हम जागीरदार लोग १० गुना के बजाय ७ गुना का संशोधन मंजूर करलें तो वह गवर्नमेन्ट हमें देने को तैयार थे मगर मैं समझता हूं कि वह सीरियस बात नहीं थी और न ऐसा होने वाला ही है।

श्री टीकाराम पालीवालः--

डेफिनिटली, मैं अब भी "स्पोर्टली" ऑफर करता हूं

श्री जसवन्तसिंहः--

मगर मैं अब उन्हें यह मौका देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे मंजूर करेंगे। वह मौका यह है बीकानेर में जो एक शार्दूल क्लब है वहां करीब ६० वर्षों से क्लब चल रहा है। उस पर हमारे स्वर्गीय महाराजा साहब का नाम है और उस बिल्डिंग के लिए हमारे बजट में १,४८,००० रुपये हैं और इस साल भी १०,००० रुपया रखा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार उसे गौर से सुनगी। वह हमें सौंप दीजिए। हम उसको पूरा करायेंगे हम चाहे चोरी करेंगे, से पब्लिक से मांग कर लायेंगे, चाहे कहीं से लायेंगे हम इसे किसी भी तरह से पूरा करेंगे। आप इसे हमें सौंप दीजिए। इससे सरकार को १॥ लाख रुपये का फायदा होगा। मगर हम किसी भी तरह इसको पूरा कर देंगे। आप हमें सौंपिये। आशा है कि हमें इसके लिए निराश नहीं करेंगे।

अब दो चार शब्द में और कहना चाहता हूं। हमारे यहां राजस्थान की जैल हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आज सन् १९५२, २० वीं शताब्दी में जिस तरह की बातें होती है आज के प्रजातांत्रिक युग में तो यह शोभा की बात नहीं है। यह सब अव्यवस्था का कारण है। सबसे पहले मैं, हमारे

गंगानगर की जेल के बारे में बताता हूं । वहां एक धान मंडी है और राजस्थान उस पर बहुत कुछ निर्भर है । वहां के जेल महकमा और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में कैदियों के खाने के झगड़े के वास्ते कोरसपोंडेंस चली । ६-६ महिने तक उनके खाने का प्रबंध नहीं किया गया। और जो चने जैल में पड़े थे उन्हें कैदियों को खिला खिला कर ६ महीने तक गुजारा किया गया। किसी चीज को जेल, फाइनन्स, और अकाउन्टेंट जनरल में ले जाकर फुटबाल बना दिया जाता है। आप यह जानते हैं कि इंसानों के साथ जानवरों का व्यवहार किया जायगा तो इस प्रजातांत्रिक युग में यह किसी प्रकार शोभा नहीं देगा। इसी तरह में आपको बतलाऊं कि जैसलमेर में एक जेल है। उस जेल की एक दीवार एक साल पहले गिर गई। ऐसे तो परमात्मा की कृपा है कि वहां वर्षा होती ही नहीं है मगर जेलियों के दुर्भाग्य से वहां बिरखा हो गई ।

श्री वेदपाल त्यागी:--

दुर्भाग्य से नहीं सौभाग्य से कहिये।

श्री जसवन्तसिंह:--

दीवाल को बनाने के लिए जेल विभाग से फाइनेन्स विभाग को लिखा गया और एकाउन्टस विभाग से इस पर कई तरह तरह के एतराजात किए गए, और फाइलों पर फाइलें बननी शुरू हुई और आज तक वह दीवार नहीं बनी। उन कैदियों के साथ कैसा बर्तात्र किया जाता है, यह आपको क्या मालूम क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में यहां चुन कर आये हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है। इन कैदियों को १०-१०, ५-५ की कतार में बैठाकर उनके पैरों में लोहे के कड बांध कर और जंजीरें लगा कर रात को सुलाया जाता है। यह कितने शर्म की बात है? क्या यह गवर्नमेन्ट को शोभा देता है? यह बात क्या शोभाजनक है? यहां हम कुर्सियां तोडने के लिए नहीं आये हैं, जनता के दुःखों को निपटाने के लिए हैं। मैं अपने माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि अगर यही सरकार की व्यवस्था रही और वही पुराने जातीय भेद-भाव रहे तो हमारी सरकार के प्रति सहानुभूति नहीं रहेगी।

दूसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जिस वक्त इंटीग्रेशन हुआ था उस वक्त हमारे बीकानेर में जो रेलवे क्रोसिंग है उस पर पुल बनाने की तजवीज हुई थी। बीकानेर की अदालत में जाने के लिए अस्पताल के लिए और कहीं जाने के लिए लैवल क्रोसिंग पर से जाना पड़ता है और उनकी सुविधा के लिए पब्लिक की बहुत दिनों से यह मांग थी । उनके जवाब में हमने प्लान्स बना लिए थे। इसके लिए नक्शे तैयार हो गए थे और काम शुरू करने वाले ही थे, परन्तु अब तक उसमें न मालूम क्या दुविधा हो रही है। बीकानेर की जनता का बहुत बडा त्याग इस राजस्थान को समृद्धिशाली बनाने के लिए रहा है जिस प्रकार कि शरणार्थियों ने अपने स्थान को छोड़ कर अपने रिश्तदारों को मरवाकर इस स्वतंत्रता को दिलवाया है उसी प्रकार हमारे

राजस्थान को स्मृद्धिशाली बनाने में बीकानेर ने बहुत कुछ त्याग किया है। अतः बीकानेर की जनता की इस मांग की अवश्य पूर्ति की जानी चाहिए और यह तो एक ऐसी चीज है जिससे जनता को बहुत कुछ आराम मिलेगा।

लॉ एन्ड आर्डर के मुतल्लिक हमारे माननीय मंत्रीजी ने अपने भाषण में बहुत कुछ कहा है। आपके ये शब्द हैं, "हम सम्पूर्ण पुलिस संगठन की सब दृष्टियों से प्रतीक्षा कर रहे हैं"। इसमें बहुत कुछ बहस हो चुकी है। इसलिये मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूं कि इसका मतलब यह तो नहीं कि इसकी आड़ में हमारे राजस्थान में बाहर से अफसर लाकर उन्हें यह काम सौंप दिया जायगा। अगर उनका यह ख्याल है कि यहां पर हमारे आदमी न्याय और व्यवस्था नहीं रख सकते, और इस बहाने जातीय भेदभाव और पक्षपात पूर्ण तरीकों से काम लिया जायगा तो इसमें हमारी बिल्कुल सहानुभूति नहीं होगी। अगर आप यह चाहें कि न्याय और व्यवस्था के लिए बाहर से आदमियों को बुलाकर हजारों रुपयें उन्हें देवें और उनके ट्रेवलिंग अलाउन्स पर खर्च करें, अगर यही इसका मतलब है तो हम इसका विरोध करते हैं मगर यदि पुलिस का उद्धार करके, जातीय भेदभाव को भुलाकर शांति और व्यवस्था कायम की जाती है तो हम उनका सहयोग देने के लिये हरदम तैयार हैं।

हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा है कि नये कर लगाने में सदन की ओर से हम सहयोग करेंगे। जो मैंने ब्योरा सदन के सामने रखा है अगर इस तरह की अव्यवस्था चालू रहेगी और अफसरों के खर्चे इसी प्रकार होते रहेंगे और हमारे खून और पसीने से कमाया हुआ पैसा इस प्रकार बहाया जाता रहा तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य ऐसे न होंगे जो कि गवर्नमेन्ट का साथ देंगे। मगर ऐसी बातों की सुव्यवस्था करेंगे तो हमारा सहयोग उनके साथ है।

(विराम)

अब अंत में मैं दो चार शब्द ओर कह कर अपना आसन ग्रहण करना चाहता हूं। अगर वास्तव में जैसा कि हमारे राजप्रमुख ने अपने एड्रेस में कहा कि जनता की सरकार, जनता द्वारा, जनता के लिये स्थापित हो तो मैं आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र, मुख्य मंत्री व वित्त मंत्री भी जो जो पोइन्ट हम लोगों ने इस सदन के सामने रखे हैं उस पर गौर करेंगे और उन पर विचार करके जो जो जनता के कष्ट हैं उसको निवारण करने की कोशिश करेंगे। इन सब पोइन्ट्स पर हम उनका जवाब भी चाहेंगे मगर जिस प्रकार हमारे मित्र, मुख्य मंत्रीजी ने राजप्रमुख के एड्रेस का जवाब देते हुए सेन्टीमेन्टस और रेटोरिक पर चले गये थे, न जावेंगे। मैं जानता हूं कि वे एक अच्छे वकील हैं मगर उनके सामने जो केस था वह बहुत कमजोर था इसलिये वे सेन्टीमेंट व रेटोरिक पर चले गये थे। मगर यहां पर सेन्टीमेन्ट व रेटोरिक का प्रयोग न करेंगे और जो जो आपत्तियें उठाई गई हैं उनको निवारण करने के संबन्ध में कहेंगे। मैं आशा करता हूं कि मैंने कोई ऐसी चीज नहीं कही है जिससे रेटोरिक

की जरूरत हो। इसलिये अंत में मैं आशा करता हूं कि जो जो बातें मैंने सदन के सामने रखी हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा और हर बात का उत्तर दिया जावेगा। अंत में मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे अपना ध्यान मेरी कही हुई बातों पर दें। इन शब्दों के साथ मैं अपना आसण ग्रहण करता हूं।

(करतल ध्वनि)

श्री चांदमल मेहताः--

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान का यह पहला बजट है जो धारा सभा के समक्ष आया है। इस बजट की कुछ मुख्य-मुख्य बातें ये हैं। इस बजट के अन्दर अनाज संबन्धी कोई खर्चा शामिल नहीं किया गया है। इसमें कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिये भारत सरकार की तरफ से सहायता मिल रही है। इस बजट में कई ऐसे कार्य हैं जो कि गत वर्ष के बजट में थे और पूरे न हो पाये थे मगर उन कार्यों को पूरा करने के लिए इस बजट में कोई गुंजायश नहीं रखी गई है। इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं जिन पर बजट में प्रोविजन होना चाहिये था; वह नहीं रखा गया है। पिछले साल अकाल की वजह से लगान की वसूली स्थगित करदी गई थी। वह लगान की वसूली इस साल होगी। अकाल के संबन्ध में जो खर्चा बताया गया है वह ११५ लाख है लेकिन बजट के आंकड़े में ३० लाख बताया गया है। इन सारी चीजों के बावजूद भी जो बजट हमारे सामने आया है वह घाटे का बजट है और जो घाटा है वह भी साधारण घाटा नहीं है। घाटा है ९३ लाख का। इस तरह के घाटे के बजट को देखने के साथ ही मेरे जैसे व्यक्ति के दिमाग में जो खास तौर से व्यापारी वर्ग का होने के नाते, यह ख्याल होने लगा कि आया जो आइटम हमारे सामने आये हैं कहीं गलत तो नहीं हैं। कहीं इसमें गलतियें तो नहीं रह गई हैं और जो आय और व्यय के आंकड़े हैं उनको मैंने गौर से देखा। मैंने बजट के डिटेल्स जो दिये हैं उन पर नजर दौड़ाई और इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कई आंकड़े ऐसे हैं जो मुझे सन्तोषजनक नहीं मालूम होते।

(हिअर-हिअर).

पिछले साल के बजट को देखने से मालूम होता है कि उस साल में करीब ६ लाख का घाटा था। मगर मैं यह कहूंगा कि जिस हालत में पिछले साल अकाल था ६ लाख का घाटा था इस वर्ष तो अकाल की स्थिति नहीं है फिर घाटा क्यों होना चाहिये?

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं उनके द्वारा यह मालूम होगा कि किस तरह से आमदनी के जरिये बढाये जा सकते हैं और किस प्रकार खर्चा कम किया जा सकता है।

सबसे पहले पानी के संबन्ध में कहूंगा और यह अर्ज करूंगा कि यह एक ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में बजट में जो कुछ कहा गया है उससे पाया जाता है कि पानी के लिये बड़ी बड़ी योजनायें हैं । हम चाहते हैं कि राजस्थान एक बड़ा प्रान्त है और राजस्थान में बड़ी बड़ी योजनायें होनी भी चाहिये और होना जरूरी भी है। मगर छोटी छोटी योजनाओं पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, पानी का कितना महत्व है इसको राजस्थान के निर्माण के पहले उन छोटी छोटी रियासतों ने महसूस किया। इसके लिए बड़े बड़े खर्चे थे और इसको मीट करने के लिये कई छोटे मोटे तालाबों का निर्माण किया गया। मैं आपका ध्यान किशनगढ़ की छोटी सी रियासत की ओर दिलाना चाहता हूं । किशनगढ रियासत में एक एक बूंद पानी को, ज़ो वर्षा से आता है इकट्ठा किया जाकर उसका उपयोग सिंचाई में किया जाता था। वहां पर इस प्रकार के छोटे-बड़े २३० तालाब हैं । मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि तालाबों को सुधारने के लिये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। कितने ही ऐसे तालाब हैं जिनकी पालें टूट गई हैं, कितने ही ऐसे तालाब हैं जिनमें मिट्टी भर गई है, कई तालाबों की आवें टूटी हुई हैं ! अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी तसल्ली के लिये पिछले साल अराई तहसील के तालाबों की मरम्मत के लिए ८० हजार का प्रोविजन रखा गया था। लेकिन एक तालाब को छोड कर किसी पर भी खर्चा नहीं किया गया और सारी रकम लेप्स होगई। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कटसूरा ग्राम के तालाब जिसके पानी से करीब दो हजार बीघा से भी ज्यादा जमीन काश्त की जाती थी, पाल ४ साल पहले टूट गई। इसके लिए पिछले साल २५ हजार रुपये का बजट में प्रोविजन रखा गया था। मगर उसमें से कुछ भी खर्चा नहीं किया गया । वे २५ हजार रुपये भी इस साल के बजट में गायब हैं। इस प्रकार कई दूसरे काम हैं जैसे सरवाड़ा तहसील के बारे में । उसमें हर एक गांव में ४–५ तालाब हैं । वहां पर यदि साधारण वर्षा होती है तो भी कभी अकाल की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। वहां भी तालाबों की नहरें तैयार न होने से इस वर्ष अकाल हुआ है और अकाल होने को प्रोत्साहन मिला है। मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि फतहगढ के तालाब से बहुत सी जमीन की आबपाशी होती थी मगर उसकी नहर भी कई दिनों से तैयार नहीं हो रही है। इसके फलस्वरूप जहां सुकाल होना चाहिये था किन्तु वहां अकाल हो रहा है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो बड़ी योजनायें बनायी जाती हैं वे ठीक हैं। लेकिन जो छोटी योजनायें पहले के जमाने की चल रही हैं उनको भूल नहीं जाना चाहिये। इस वर्ष के बजट में जो प्रोविजन रखा गया है वह नहीं के बराबर है । किशनगढ़ अकाल पीड़ित है वहां की जनता उम्मीद करती है कि फेमिन के सम्बन्ध में नहीं तो कम से कम आगे के अकाल की रोकथाम के लिये उन छोटे छोटे तालाबों की मरम्मत की जाय। जहां जहां तालाब टूट गये हैं वे तैयार करायें जायें । ,

दूसरा निवेदन जो मैं करना चाहता हू वह है सिंचाई की व्यवस्था के सबन्ध में। जिस तरह की सिंचाई की व्यवस्था हमारे यहां ह उसकी वजह

से मै कह सकता हूं कि कई हजार एकड़ जमीन ज्यादा आबपाशी होनी चाहिये वह नहीं हो पा रही है। आज की व्यवस्था जिस तरह की है उसके माफिक जो सत्ता गांवों में थी वह शहरों में आगई है और जो सत्ता शहरों में थी वह राजस्थान की राजधानी में आगई है। काश्तकार अपने खेत को पानी पिलाना चाहता है, तालाव में पानी भी है लेकिन उसको इसके संबन्ध में यात्रा करनी पड़ेगी सैकड़ों मील। सायला गांव है वहां आबपाशी करने की आवश्यकता है तो उसको पानी के लिये भागना पड़ेगा टोंक। उसका इन्चार्ज टोंक में रहता है। टोंक में इन्जीनियर साहब मिल गये तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं मिले तो एक साथ कितनी हानि उठानी पड़ती है। एक ओर तो अनाज सूख जाय और दूसरी ओर वह पानी जो तालाब में इकट्ठा है बेकार चला जाय। इस तरह से कई घटनायें घटी है। किशनगढ जब अलग रियासत थी उस वक्त आबपाशी की यह व्यवस्था पटवारी के हाथ में थी। आज वही व्यवस्था पटवारी नहीं, तहसीलदार नहीं, एस.डी.ओ. नहीं कर सकता। जहां इरीगेशन का इनचार्ज रहता है वहां इस तरह के काम हुआ करते हैं। इस तरह की व्यवस्था में बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है। उस कठिनाई से एक ओर फसल को हानि पहुंचती ह और दूसरी ओर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। जब बारिश शुरू होती है तो तालाबों की मोरियों के डाटे बन्द कर दिये जाते हैं और यह अधिकार मौजूदा समय में न तो पटवारियों के हाथ में है, न तहसीलदार के हाथ में, न एस. डी ओ. के हाथ में इसका अधिकार है, पर उस डिपार्टमेन्ट के इन्चार्ज के हाथ में है। इस साल थोड़ी सी वर्षा हुई इस थोड़ी सी वर्षा से कई तालाबों में दो दो सौ, तीन तीन सौ एकड़ जमीन की आवपाशी का पानी आजाता लेकिन सारा पानी वाहर निकल गया क्योंकि उन तालाबों की मोरियां बन्द नहीं हुई। एक तहसीलदार ने हिमाकत कर डाली कुछ तालाबों की मोरियों के डाटें बन्द कराने की। जिससे २००–३०० एकड का पानी जमा होगया। लेकिन इस कारवाई के परिणाम स्वरूप तहसीलदार से एक्सप्लेनेशन मांगा गया। मैं निवेदन करूंगा कि जब यह व्यवस्था है तो इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। सिचाई संवन्धी व्यवस्था मुकामी अफसरों के सुपुर्द कर देनी चाहिये। इस संबन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इस संबन्ध में मैं अगर अपने और विचार जाहिर करूं तो मुमकिन है कि दूसरे विचार जाहिर नहीं कर सकूंगा।

एक बात मोटर रजिस्ट्रेशन कानून के बारे म है। रजिस्ट्रेशन के लिए आज के समय में रजिस्ट्रेशन फी के अलावा किशनगढ से जो आदमी आयगा उसको करीब दो सौ रुपया खर्च करना होगा भ्रष्टाचार के रूप में देना पड़ेगा वह अलग है। आज की जो व्यवस्था है उसके अनुसार जो आदमी रजिस्ट्रेशन के लिए आयगा उसका पेट्रोल का खर्चा होगा, तीन चार रोज यहां रहेगा उसका भी खर्च होगा। यह साधारण सी बात है। यह कार्य तहसील के जहां हैड क्वार्टर हैं वहां हो सकता है या डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट का हड क्वार्टर है वहां यह काम हो सकता है। इस तरह से लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इस सम्बन्ध में इतना निवेदन करना चाहता ह कि जहां तक सत्ता के विभाजन का ताल्लुक है इस सम्बन्ध में एक कमेटी नियुक्त करदी जाय तो बहुत आवश्यक

है। वह कमेटी आर. एन. डे. द्वारा दी हुई तजवीज को भी देखले। तो मेरा विश्वास है कि जनता की दिक्कतें कम हो सकती है।

अब में एक बात जिलों के एकीकरण के बारे में कहना चाहता हूं। जिलों का निर्माण हुआ है वह किसी खास सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है।

माननीय अध्यक्ष:---

आप एक मिनिट और बोल सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता:---

(अपना भाषण जारी रखते हुए) जैसी मरजी हाउस की और माननीय अध्यक्षजी की।

जिलों के संबन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिलों का जो निर्माण हुआ है जिसकी वजह से बहुत खर्चा बढ गया है। तीन लाख की आबादी वाले के लिए भी वही अमला है वही डिपार्टमेन्ट हैं और १७ लाख की आबादी के लिए भी वही अमला है। जयपुर जिला जिसकी आबादी १७ लाख है; दूसरे तीन चार जिलों की मिली हुई आबादी से भी बड़ा है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जिस समय जिलों का निर्माण किया जा रहा था उस समय इस विषय पर पूरी तरह से सोचने का मौका नहीं मिला। जिलों का पुनर्निमाण किया जाय। जयपुर जैसे जिले में जहां १७ लाख की आबादी है, सतरह तहसीलें है, जिसका शासन प्रबन्ध ठीक ढंग से नहीं चलता उस जिलों के दो टुकड़े कर दिये जाने चाहिये व छोटे छोटे जिलों को मिलाकर नये ढंग से जिलों का निर्माण किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, उद्योग धंधों के सम्बन्ध में जो प्रोविजन रखा गया है वह नहीं के बराबर है। खनिज पदार्थों के संबन्ध में कोई प्रोवीजन नहीं रखा गया है। हमारे पिछड़े हुए प्रान्त को तरक्की देने के लिए माली हालत को सुधारने की आवश्यकता है। हमारे भूगर्भ में जो करोड़ों की संपत्ति भरी पड़ी है उसको निकाला जाय तो बड़ा फायदा होगा। उद्योगों को प्रोत्साहन आदि के कार्यों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे भूगर्भ में पड़ी हुई चीजों की सरवे के लिए व्यवस्था होनी चाहिये उन चीजों को निकाल कर प्रयोग में लाने की व्यवस्था होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में जो कुछ जिक्र है वह बहुत साधारण है। अन्त में छोटी सी बात और निवेदन करना चाहता हूं वह है खास तौर से लेवी के सम्बन्ध में। आज हमारे यहां लेवी के बारे में गांव गांव में व्यवस्था हो रही है। स्थिति यह है कि वहां जो अनाज का रेट हैं उससे शहर में अनाज सस्ता है तो फिर किसानों को क्यों परेशान किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जब राजस्थान सरकार के पास काफी स्टाक है तो लाजिमी तौर पर लेवी देने के लिए अनाज वसूल क्यों किया जाय? जिस रेट पर वसूल करना चाहते हैं उसी रेट पर बाजार में मिल सकता है

तो फिर इस प्रकार की परेशानी क्यों की जाय और किसानों को परेशान क्यों किया जाय ?

(विराम)

अध्यक्ष की ओर से दुबारा-तिबारा वारन्ट आ चुका है। अब मैं क्षमा चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः—

सदस्य लोग समय का ध्यान रख कर बोलें।

श्री मानसिंहः—

हम लोगों का इस प्रकार गला क्यों घोटा जाता है ? एक दो दिन और बढ़ाये जायें ताकि हम कुछ सुझाव रख सकें।

माननीय अध्यक्षः—

दोनों पक्षों की सलाह करके उनकी रजामन्दी से समय मुकर्रर किया गया है। यदि सदन चाहे तो दो-चार-पांच रोज बढ़ाये जा सकते हैं।

श्री मानसिंहः—

ठीक है आज शाम को हम तय कर लेंगे।

माननीय अध्यक्षः—

ऑर्डर, ऑर्डर,

श्री किशनलाल शाहः—

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के एकीकरण के बाद जनता जिस आदर्श की पूर्ति की आशा करती थी उस आदर्श की पूर्ति की आशा नहीं तो कम से कम हमारी सरकार उसकी पूर्ती की ओर बढ़ती तो शायद भविष्य के लिये कुछ आशा की झलक नजर आती। माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा चालू वर्ष के लिये आय-व्यय का जो स्टेटमेन्ट (विवरण) सदन के सामने रखा गया है और उस पर दो तीन भाषण भी हुए हैं। जो विरोधी दल की ओर से दलीलें पेश की गई हैं उनमें से अधिकतर सरकार के प्रोग्राम में रोड़े अटकाने की दलीलें हैं। उनका मतलब यह है कि सरकार के पास जो आमदनी के जरिये हैं वे न हों। यह तो विरोधी दल के पक्ष की बात है। सरकारी पक्ष की ओर से जो बजट पेश किया गया है उसमें भी मुझे कुछ दोष नजर आते हैं। हम एक कदम। आगे

बढ़ने के बजाय कोई १० कदम पीछे हो गये हैं। मेरे कहने का मकसद यह है कि जब से हमने भारतीय आन्दोलन का श्री गणेश किया था उस दिन से लेकर आज तक हम गांधीवाद और सर्वोदय के नाम पर यह कहते आये हैं कि हमें ग्रामवालों की ओर चलें। ग्राम जो हमारे देश और प्रान्त की रीढ़ है और उनमें बसने वाले ग्रामीणों का जो मौजूदा जीवन है उसकी उपेक्षा की जा रही है। मैं यह देखता हूं कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में गांवों की शिक्षा, गांवों की तन्दुरुस्ती, ग्रामीणों की माली हालत, वहां के ग्रामोद्योगों को सुधारने के लिये वहां के स्थानीय उद्योगों को बढ़ाने का जिक्र तक नहीं किया है। वहां की क्रय शक्ति कहां तक ठीक है उसका जिक्र तक नहीं किया गया है। क्या सब गांवों में एक एक ऐसे सेठ मौजूद हैं जो हमदर्दी के साथ इस काम को पूरा कर सकें? मैं समझता हूं कि हमारे पास इसकी कोई सची नहीं है कि राजस्थान के हर गांव में ऐसे कोई व्यक्ति मिल सकते हैं। मैं समझता हूं कि जब इसका उत्तर सरकार की ओर से मिलेगा तब इसकी फहरिश्त भी साथ में मिलेगी। जिन जिन गांवों में मेडिकल, हल्थ, एज्युकेशन आदि चीजों की आवश्यकता है कौन कौन से साधन मौजूद हैं वहां और वे पूरे हैं? या नहीं अगर सरकार यह चीज नहीं देती है तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह बजट ग्राम की ओर नहीं जाता, सर्वोदय की ओर नहीं जाता बल्कि पूंजीवाद को प्रोत्साहन देने वाला, गरीबों की गरीबी बढ़ाने वाला और मध्यम श्रेणी व किसान वर्ग की हत्या करने वाला है। इसे मैं कभी भी आज की अवस्था में प्रगतिशील बजट नहीं कह सकता। जहां शिक्षा का सवाल है, तन्दुरुस्ती का सवाल है, माली हालत को सुधारने का सवाल है उसमें इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन इसके साथ ही एग्रिकलचरल इनकमटेक्स थोप दिया जाता है और जो गांवों से आमदनी आती है उसको शहरों में, बिजली के पंखों में, महलों में, इंजीनियरों में, स्पेशिलाइज करने वालों और वैज्ञानिक आविष्कार पैदा करने वाली बातों कीओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उनकी माली हालत सुधारने में ज्यादा तवज्जुह दी जाती है और राजस्थान के गांवों की आमदनी को गांवों में देने के बजाय उन पर शहर का बोझा थोपा जाता है। आपके सामने जिस एग्रिकलचरल इन्कमटेक्स का हवाला दिया गया है व दूसरी दलीलें दी गई है उनमें कहा गया है कि गांवों के लिये हम ग्राम-पंचायतें कर रहे हैं। म्युनिसिपल बोर्ड कायम करने की योजना बना ली गई है। और उधर उनकी माली हालत का ध्यान न रखते हुए उनकी आमदनी को शहर में समेट कर रखना, उसमें से गांवों को एक पैसा भी न देकर एग्रिकलचरल इन्कमटक्स को लागू करना और पंचायतों और म्यूनिसिपेलिटियों के नाम पर उनका खर्चा चलाने के लिये और कर बढ़ाना अनुचित है जब कि उनकी माली हालत एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाइ जा रही है। उनके अधिकार कंट्रोल, प्रोक्योरमेन्ट द्वारा हस्तगत कर लिये गए हैं। इतना होने पर भी उनके पास चीज नहीं पहुंचती है, ठीक डिस्ट्रिब्यूशन नहीं होता है; यह देखने की चीज है। इसलिये यह सिद्धान्त के तौर पर प्रतिक्रियावादी बजट है और प्रगति की ओर नहीं जाता।

दूसरा प्रश्न यह है कि मशीनरी डिफेक्टिव है। इसे ठीक और एफिशियेन्ट बनाने की योजना होनी चाहिये । आज यथावत स्थिति (स्टेटस) वही है जो आज से १० वर्ष पहले थी। तो आज स्टेटस को मौजूदा परिस्थिति के अनुकूल, समय के अनुकूल चलाना है, न कि १० साल पहले की नीति का पालन करना है। मैं थोडी सी बातों का नमूना बताना चाहता हूं। बजट में २२,००० रुपये एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट के लिये रखे ह। मैं नहीं जानता इसका प्रोसीजर क्या है, मशीनरी कसी है, चैनल क्या है? इसके लिये कानून क्या है और यह मशीनरी आगे क्या काम करने वाली है और उसमें लंपसम क्या खर्च किया जाता है? उसका कोई व्योरा नहीं। वह स्टेशनरी में होता ह, या ट्रैवलिंग अलाउन्स में। प्रपोरशनेटली सब चीजों पर होगा लेकिन ज्यादा प्रेक्टिस जो देखने में आती है वह यह ह कि ज्यादा खर्चा मीनियल स्टाफ पर आता ह।

दूसरी बात है मेडिकल विभाग में कुछ कट हुआ है। मैं नहीं समझता उधर तो मेडिसन्स (दवाइयों) की कीमत बढ रही है और उधर कट किया जा रहा है। तो पब्लिक को मेडिसन्स की सप्लाई कहां तक पूरी की जा सकेगी? इसका असर मीनियल स्टाफ के कट से होगा। इस मशीनरी में जितने भ्रष्ट और स्वेच्छाचारी आदमी बैठे हैं, जिनके खिलाफ शिकायतों की फायलें पर फायलें ह उनको निकाल कर कम किया जा सकता है, लेकिन उनको रखा जाना बिल्कुल गलत चीज है। भ्रष्टाचार को दूर करके खर्च कम किया जाना चाहिये। उनको कम न करके जिनको हमें रखना चाहिये रखा जाए। यह गलत चीज है जो हमारे को आगे बढाने वाली नहीं है । अध्यक्ष महोदय, और कई बातें इस सदन के सामने हैं जो इस युग में २४ घंटों में एक क्षण भी समस्या दूर नहीं करने देती। मैं इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण का बुकलेट हमको दिया है। उसके १८ वें पेज पर इस बात का हवाला दिया गया है कि सेटलमेन्ट को जल्दी करने के लिये स्टाफ की आवश्यकता है। उसके बाद यह लिखा है कि सेटलमेन्ट ओपरेशन का होना प्राइमरीलि एसेन्शियल (प्रारम्भतः आवश्यक) है जागीरदारी रिजम्पशन के लिये। इसका मतलब मैं क्या समझूं ? क्या इस बारे में सरकार जवाब देगी कि जब तक सेटलमेन्ट ओपरेशन खत्म नहीं होंगे तब तक जागीर जेम्पशन एक्ट लागू नहीं किया जायगा ? क्या बजट में जागीरदारी एक्ट को लागू करने के लिये स्टाफ आदि का प्रोविजन इसी लिये नहीं रखा गया है ? कई जागीरदारों पर रकम बाकी है जिसकी रिकवरी वसूली के मुत्तल्लिक तथा और भी तीन चार बातें ऐसी हैं, उनके बारे में मुझे ख्याल पडता है कि विरोधी पक्ष से कोई समझोता करने की बातचीत चल रही है।

शायद समझोते की कोई बातचीत चल रही होगी। यह निश्चित है कि सरकार कमजोरी की हालत में काम कर रही है। इस बजट को देखने से साफ जाहिर होता ह कि सरकार क किसी न किसी अंग को लकवा मारा हुआ है; वह कमजोर पड रही है। जो जागीर रिजम्पशन एक्ट हमारे सामने आया ह इस बजट में उनके एग्जिक्यूशन के लिये कोई प्रोविजन देखने में नहीं आया है जिससे कि सरकार की आमदनी बढती। उसके वजुहात सिर्फ विरोधी दल को खुश करना ही मालूम

होते हैं। जागीर रिजम्पशन को नोटीफाई हुए कितने ही दिन होगये हैं; लेकिन उसके एग्जिक्यूशन का क्या हुआ पता नहीं। सरकार अपनी पालिसी को साफ नहीं करते हुए एक ऐसे गोलमाल शब्दों में जैसा कि पुरानी सामन्तशाही सरकार अपने राजनैतिक जाल से भरे हुए शब्दों को काम लाती थी, उन्हीं स्टीरियोटाइप्ड शब्दों में जो कि आई० सी० एस० लोगों के मालूम होते हैं, यह बात रखती है। इससे मुझे शक होता है कि एक्चुअल रूलर्स दूसरे हैं। इन सब बातों को देखते हुए में उम्मीद करता हूं कि सरकारी पक्ष की ओर से इसका जागीरदारी रिजम्पशन एक्ट के विषय में जो जवाब मिलेगा भ्रष्टाचार और मशीनरी के विषय में संतोषजनक उत्तर मिलेगा। ऐसा होने पर ही हम कहेंगे कि यह बजट सच्चे मायने में हमारा बजट है, हमारी सरकार का, हमारी कांग्रेसी सरकार का बजट है, सामन्ती सरकार का नहीं। इतना कह कर मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—

माननीय अध्यक्ष, सबसे पहले मैं आपकी आज्ञा से माननीय वित्त मंत्रीजी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं; इस बात पर कि उन्हें, राजस्थान की सच्चे मायने में पहली बनने वाली जनतन्त्रात्मक सरकार की ओर से उनके वित्त मंत्री होने के नाते पहला बजट पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने साथियों को तथा स्वयं अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमें भी उसी नाते यानी प्रजा के बालिग मताधिकार की बुनियाद पर चुने हुए प्रतिनिधियों के नाते उसी बजट पर अपना मन्तव्य प्रकट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हैं। यद्यपि एक दृष्टि से यह माननीय वित्त मंत्रीजी का और हम लोगों का सौभाग्य है किन्तु दूसरी दृष्टि से, यदि मैं आपकी आज्ञा से यह कहूं, कि यह हमारा दुर्भाग्य है तो शायद अत्युक्ति न होगी।

सबसे पहले इस संबन्ध में मुझे आपके समक्ष एक निवेदन पेश करना है और वह यह है कि इस सदन में बहुत बड़ी और विशालकाय सामग्री पिछली ७ तारीख को माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश की गई। उनका बजट भाषण भी हुआ और कल एक ही रोज बाद इस पर वाद-विवाद शुरू होने का कार्यक्रम रखा गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्रतापूर्वक अनुरोध है कि मेरी छोटी सी बुद्धि में जो समय बजट के प्रस्तुत करने में तथा उस पर वादविवाद होने के बीच में रखा गया है वह बहुत ही थोड़ा है। मैं हिसाब किताब के मामलों में अपने आपको बहुत कमजोर समझता हूं। हो सकता है कि इस सदन में मुझसे कहीं अधिक योग्य और गणित के मामलों में विशेष ज्ञान रखने वाले सदस्य उपस्थित हों, लेकिन इस हाउस के साधारण सदस्य के नाते हममें से हरेक का यह हक है कि जो सामग्री हमारे पास आवे और उस पर वाद-विवाद हो इसके लिये हमें इतना अवकाश अवश्य मिलना चाहिये जिससे हम उस सामग्री को पढ सकें, समझ सकें और कुछ उस पर सोच विचार कर सकें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कोई एतराज की नीति से यह बात आपको सामने निवेदन नहीं कर रहा हूं। जो साहित्य कहिये, मसाला कहिये, सामग्री

कहिये, हमें दी गई है वह लगभग २५०, ३०० पन्नों में लिखी हुई है और यह कोई मामूली बात नहीं है। कई बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण बातें इन पुस्तिकाओं में भरी पड़ी हैं, लेकिन हम तभी कुछ काम की बात कह सकते हैं, उनके संबन्ध में, जब कि हमें यह अवकाश हो कि हम सावधानी से, कुछ सूझ बूझ से, उनकी गहराई में जा सकें और फिर ही तो हम काम की बात आपके सामने निवेदन कर सकें । वर्ना बिना समय के वैसे तो बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, आपके सामने रखी भी गई हैं और अब भी रखी जायंगी। तो मेरा यह निवेदन है कि भविष्य में कम से कम बजट प्रस्तुत करने और उस पर वाद विवाद होने के बीच में एक हफ्ते का समय अवश्य दिया जाना चाहिये।

अस्तु, जो कुछ थोडा बहुत मैं इस बजट के संबंध में देख पाया हूं तो कुछ विशेषताएं इस बजट में अवश्य मैंने देखी हैं। एक बडी विशेषता तो यह है कि तकरीबन ९३॥ लाख या १ करोड के घाटे का यह बजट है और एक दूसरी विशेषता जिसके बारे में मेरे माननीय मित्र जो कि मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं उन्होंने कुछ विस्तार से आपके सामने निवेदन किया है। वह विशेषता यह है कि जो कुछ पूंजी हमे राजस्थान के बनते समय मिली थी उसको भी किन्हीं कारणों से, मैं नहीं जानता, समाप्त सी कर चुके है। यह हमारे लिए बड़े दुख की बात है। एक मामूली सा साहूकार होता है वह भी अपनी दूकान का सालाना हिसाब किसी एक निश्चित समय पर देखता है और जब वह यह महसूस करता है कि दूकान की पूंजी खतम होने जा रही है तो उसकी मन: स्थिति क्या हो सकती है। हमारे लियें हमे यह स्थिति बडी चिन्तनीय है।

हमारी यह स्थिति बड़ी सोचनीय है और इससे भी अधिक सोचनीय स्थिति यह है कि हमारे वित्त मंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि अब तक उनको और उनके विशेषज्ञों को यह पूरी तौर पर पता नहीं है कि हमारी ऋण सम्बन्धी स्थिति क्या है? यदि आपने उनके भाषण को सावधानी से पढ़ा होगा और उस पर गौर किया होगा तो यह एक अनोखी बात है जो हमें पढने को मिलती है और जब मैं उस दिशा की ओर अग्रसर होता हूं, सोचने के लिए, तो मुझे भविष्य और भी चिन्तामय नजर आता है। यह हमारे लिए कितने दुख की बात है कि हमारा बजट घाटे पर जा रहा है। मेरा उनसे अब भी निवेदन है और इस हाउस के नेता से निवेदन है कि महरबानी करके वे इस स्थिति को समझें, पहले पूरी तौर पर उसका पता लगाएं और फिर जल्दी से जल्दी इस हाउस को जानकारी करावें कि हमारी ऋण सम्बन्धी सारी स्थिति कैसी है; ताकि अतीत में जो बातें हुई हों उनको रहने दीजिए उनका असर तो हमें भुगतना ही पडेगा; लेकिन हम लोगों को यह प्रयत्न करना है कि आगे की स्थिति भी संकटपूर्ण न हो। वक्त रहते सब कुछ काम हो सकते हैं वक्त निकल जाने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिये मेरी वित्त मंत्रीजी से यह प्रार्थना है कि वे इस स्थिति को स्वयं समझें और इस हाउस के सामने सारी स्थिति स्पष्टतया रखें। और मैं तो यह भी चाहूंगा कि वे हमें यह भी बताने की कृपा करें कि सरकार ने आखिर इस सारी पूंजी को क्यों कर खर्च

कर दी। इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन किए बिना नहीं रह सकता कि आखिर आज हम इस राजस्थान के प्रान्त में इकट्ठे हुए और हमारा एकीकरण हुआ, लेकिन इसके पहले के जो राज्य थे उनके खुद के भी बजट थे, उनके खर्चे थे, और मैं यह भी मानने को तैयार नहीं कि वे सारे राज्य मुफलिस थे; उनकी अर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय थी, चिन्तनीय थी और आपने उनको एक घाटे के रूप में अपने हाथ में लिया। मैं यह नहीं समझता कि आज जो जनमत जितना प्रवल है और उसको कोई आदमी बगैर किसी लम्बी चौड़ी जोखम के ठुकरा नहीं सकता, उस समय भी जनमत उतना ही प्रबल था जितना कि आज। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो सिस्टम पहले अलग २ रियासतों में प्रचलित था उसके मातहत नरेशों के खर्चों और राज्य के खर्चों में कोई मजबूत दीवार नहीं थी, बहुत कुछ गुंजाइश थी, उनके अपने खर्चे थे, जिन्हें वे रियासत के कोष में से करते थे; बड़ी २ इमारतें भी बनती थी, बड़े २ अस्पताल, न्यायालय और जनता से सीधा सम्बन्ध रखने वाले सिचाई के काम भी होते थे, और फिर भी जब कि वे आपके इस नये प्रान्त में सम्मिलित हुए थे उन्होंने आपको एक निधि पेश की थी; इसलिये नहीं कि उस निधि को आप समाप्त कर दें, बरबाद करदें बल्कि इसलिये कि आप उस निधि में बढावा दें और मेरी समझ में यह होना सम्भव भी था। छोटी सी मिसाल लीजिए; जब अलग अलग कुटुम्ब होते हैं तो उनके अलग २ खर्चे रहते हैं, उन्हें कई खर्चे अलग २ करने होते हैं, लेकिन जब सब मिल कर अपना सारा कार्य सम्मिलित रूप से करें तो फिर अलग २ खर्चों में जरूरी कमी होनी ही चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करेंगे, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं म अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह समझता हूं। पिछले समय में जब अलग २ रियासतें थी उसके अनुसार करीब ८०-९० मिनिस्टर होते थे शायद ३५-४० हाई कोर्ट स के जज हुआ करते थे; मगर जब सब रियासतों का एकीकरण हुआ तो बजाय ८०-९० मिनिस्टरों के आज ९ १०, या ११ मिनिस्टर केवल रहते हैं और ४० हाई कोर्टों के जजों, के बजाय माफ करियेगा, केवल राजस्थान में ४ जज मौजूद हैं। यह संख्या कोई असाधारण संख्या नहीं ह। जब हमारे राज्य का प्रबन्ध एक सम्मिलित रूप से होने चला तो जरूर हमारे राज्य कोष में बचत होनी चाहिये थी। लेकिन हुआ कुछ और ही। यह ऐसी बड़ी बात है, जिसके लिए एक जवाबदार हकूमत को जवाब देना होगा, देना चाहिये और मेरी सरकारी पक्ष से अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत, निवेदन है कि आप इसका जवाब देंगे। मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं कि इस मामले में आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है या नहीं है। क्योंकि हमारा संपर्क सरकार से है और आप पर सरकार का उत्तरदायित्व है।

अध्यक्ष महोदय, बजट के संबन्ध में जो सामान्य वाद विवाद हो रहा है उसका प्रयोजन यह है कि अगर हम बुनियादी बातों पर अधिक ध्यान रखें और विशेष बातों को आने वाले स्टेज के लिए छोड़ दें तो शायद हम पब्लिक और हाउस की अधिक सेवा कर पावेंगे। यह मेरे निजी विचार हैं, मैं नहीं जानता कि यह ठीक है। अतः मैं आपको जो निवेदन पेश करूंगा वह इसी दृष्टिकोण से करूंगा। मेरा सबसे जरूरी निवेदन इस संबन्ध में यह है कि आप चाहे घाटे

का बजट पेश करें चाहे नफे का बजट पेश करें; मैं समझता हूं कि ये मोटे रूप में कागज की बातें हैं और आंकड़ों का इधर उधर बिठाना कुछ कठिन नहीं होता है। क्योंकि हिसाब के विशेषज्ञ इन मामलों में बड़े उस्ताद होते हैं। मैं स्वयं इस सम्बन्ध में अधिक अनुभवी नहीं हूं और न मुझे पर्याप्त समय ही मिला कि मैं इन बातों को पूर्ण रूप से समझ लूं, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर इस संबन्ध में महत्वपूर्ण समझता हूं और आपकी आज्ञा से हाउस का, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। और माननीय हाउस के नाते और उनके साथियों से मैं आशा करता हूं कि वे इन बातों की ओर ध्यान देंगे और ध्यान ही नहीं देंगे लेकिन सावधानी से यदि मेरी बातों में तथ्य हो तो वे उन्हें कार्यान्वित करेंगे।

मैं आपसे यह कहने वाला था कि सबसे जरूरी बात हमारे लिए यह है कि जितना धन हम अपनी शासन सामग्री के द्वारा, शासन मशीनरी के द्वारा, प्रान्त वासियों के लिए खर्च करते है वह उस मात्रा में ठीक प्रकार से, ईमानदारी से, उपयोग में लाया जाता है। बहुत सी बातें आपके सामने रखी गई हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता; लेकिन यह मेरा निश्चित मत है कि अपने अनुभव में और जो कुछ मैं अपने साथियों से सुनता हूं उसके बल पर कि आज शासन की सामग्री इतनी बलशाली नहीं, इतनी ईमानदार नहीं, इतनी कर्तव्यशील नहीं इतनी यत्नशील नहीं, जितनी इसे होना चाहिये और ऐसा क्यों हो रहा है? इसके कई कारण हैं। मैं पहले भी संकेत कर चुका था अपने भाषण में कि आप कृपा कर इस तथ्य को समझिये कि जो कुछ आपने राज्य सेवाओं के संबन्ध में किया है वह अपर्याप्त है। श्री राजप्रमुख ने अपने भाषण में यह बतलाया और हमें विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि राजस्थान की राज्य-सेवाओं का एकीकरण कायदे से, न्याय पूर्वक हो चुका। मुझे अफशोस है कि मैं इस बात को मानने के लिए अपने आपको अभी तक तैयार नहीं पाता हूं। मैं जानने की कोशिश करता हूं कि राज्य सेवाओं का जो एकीकरण हुआ है उससे कितने लोग सन्तुष्ट हैं। मुझे माफ कीजिये, अध्यक्ष महोदय, यदि मैं आपसे कहूं कि उनको बिल्कुल सन्तोष नहीं, बल्कि काफी मात्रा में असंतोष है। एक महोदय ने जो दूसरी पक्ष के हैं उन्होंने अपने भाषण में यह बतलाने की कोशिश की कि एकीकरण का काम बहुत मुश्किल था और हमने बहुत काफी अच्छे ढंग से किया है। मैं मानता हूं कि एकीकरण का काम बहुत मुश्किल था; परन्तु राजस्थान में कौनसा काम आसान है? हमारा जिन्दा रहना भी मुश्किल होगया है। और चूंकि हमारा जिन्दा रहना मुश्किल होगया इसलिये जो शान्ति और व्यवस्था के साधन हैं वे कम कर दिये जावें या उनको पूरा नहीं किया जावे या इस बात पर सन्तोष मान लें कि हमारे यहां शान्ति और व्यवस्था की व्यवस्था पर जो खर्च किया जा रहा है काफी है और इससे अधिक न होना चाहिये। दुर्बल और कम खर्चीली व्यवस्था से बहुत बचत हो सकती है; मगर यह ठीक नहीं। मैं नहीं मानता कि यह श्रेय की बात है बल्कि मैं इसे दुर्भाग्य की बात मानता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तीन साल हमारे राज्य को होने आये और अभी तक इंटीग्रेशन का काम कोई सन्तोषजनक स्थिति में नहीं है। मैं यह कहूंगा कि कई राज्य सेवाओं का एकीकरण अभी तक हुआ नहीं और जिनका थोडा बहुत हो पाया वह भी अपूर्ण है। और मेरा तो यह

निश्चित मत है कि हम कैसा ही सुन्दर बजट क्यों न बनावें मेरे माननीय मित्र जो अभी बहुत कुछ आवेश में विचार प्रकट कर गये हैं अगर उनके आदेश के अनुसार ही बजट बनावें, लेकिन केवल बजट बन जाने से ही जनताको कोई राहत मिलने वाली नहीं है। जनता के हित का सम्पादन कभी भी नहीं होने वाला है जब तक वे कागज में दर्ज किये हुए पैसे जनता के हित में न लाये जावें।

(करतल ध्वनि)

और मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह मशीनरी कौनसी है जो यह काम सम्पादन कर सकती है। मेरा इस हाउस के सामने नम्र निवेदन है कि मेरे मित्र ठंडे दिमाग से सोचें, और सही, दृष्टिकोण से, तो वे मानेंगे कि कोई भी राज्य समृद्धिशाली नहीं बन सकता जब तक कि उसकी राज्य सेवाए वफादार न हों, सन्तुष्ट न हों और कर्तव्यशील नहीं हों। उनको हम कर्तव्यशील बनावें और यह तभी हो सकता है जब आप उनके साथ न्याय करें। उनको यह शान्ति और सन्तोष हो कि हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा और इस सम्बन्ध में मेरा एक सवाल हाउस के नेता से है वह यह कि यह सिलसिला कैसा है। हमारे राज्य में जो तरक्कियें देने का और तनजुल्लियें करने का जो सिलसिला है वह किसी न्याय पर आधारित है, या इसमें स्वेच्छाचारिता क्षमा करें, स्वेच्छाचारिता तो नहीं है? एक आदमी ५० साल की आयु में रिटायर कर दिया जाता है जब कि उसको पांच साल अभी तक भुगतने हैं, दूसरी ओर एक ६५ साल का आदमी नौकरी में ले लिया जाता है, यह क्यों? मुझे बड़े अफशोस के साथ कहना पड़ता है कि जब ऐसे मामले होते हैं तो राज्य सेवाओं का विश्वास आपमें नहीं हो सकता। ऐसा होने पर जनता का विश्वास भी आपके मंत्री परिषद् में नहीं होगा। मैं किसी भी मंत्री महोदय पर आरोप नहीं लगाना चाहता, परन्तु वस्तु स्थिति अपने द्वारा माननीय अध्यक्ष, सदन के सामने रखना चाहता हूं और यह मेरा कर्तव्य है जिसे मैं बगैर किसी डर और संकोच के कहना चाहता हूं। आप पता लगावें ऐसी बातें होती हैं या नहीं और यदि होती हैं तो क्यों? ये नहीं होनी चाहिये क्योंकि जब शासन की चोटी से इस तरह के काम होते हैं तो नीचे के आफिसरों पर क्या असर होता है? मेरा आपसे नम्रता पूर्वक लेकिन जोर दार शब्दों में यह अनुरोध है कि महरबानी करके आप हमारे राज्यसेवाओं के मामलों में तथा जनता के मामलों में, न्याय से, स्वेच्छाचारिता से नहीं, दलबन्दी से ऊपर उठकर, सबके साथ एक पवित्र भावना से काम करने के लिए तैयार हों; चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी मजहब के हों। लेकिन मैं समझता हूं कि राज्य सेवाओं में और राज्य सेवाओं से, जहां तक जनता के हित का संबन्ध है वहां तक दल बन्दी की भावनायें लेकर, जातीयता को लेकर, किसी को न्याय से वंचित किया जाता है, तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि महरबानी करके आप इस मसले को सोचें, और अगर आप चाहें तो इन चीजों का आप पता चला सकते हैं और उन्हें रोक भी सकते हैं। दुख की बात तो यह है कि जब हमारे शासन का श्रोत ही जहरीला हो जाता है तो उसका पानी तो अमृत मय कैसे हो सकता है? अगर अपनी राज्य सेवाओं और उसके ऊपर अपने

मंत्री परिषद् का कार्य, सुन्दर और न्याय व कर्तव्यपूर्ण बनावें तो मैं आपसे यह अधिकार पूर्वक कहना चाहता हूं कि जो छोटी मोटी चीजें इस हाउस में सुनने को मिलती हैं और जिसके लिए हमें बहुत सा वक्त खर्च करना पड़ता है वे नहीं मिलेंगी और वह समय हम काम की दूसरी बातों पर खर्च कर सकेंगे। छोटी छोटी बातें जैसे अवकाशप्राप्त लोगों को बरसों तक पेन्शन नहीं मिलती है, साल साल से टी० ए०के पैसे नहीं मिलते ऐसी बातें यहां आनी ही नहीं चाहिये। आप ही बतावें कि राज्य सेवाओं के सदस्यों से आप क्या आशा कर सकते हैं जब कि कहीं अधिकारी हैं तो अमला नहीं; और कहीं है तो अधिकारी नहीं और कहीं अधिकारियों के पास काम ही नहीं।

मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहूंगा कि कई बातें ऐसी हैं जो काफी दर्दनाक सूरत पैदा करती हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जो धन हमारे राज्य का नियमित रूप से जनता के हित में खर्च होना चाहिये नहीं हो पाता। और कई राज्यकर्मचारियों को अवसर मिलता है काम न करने का या भ्रष्टाचार फैलाने का। आप जानते हैं कि मानव चरित्र कोई ऐसी चीज तो नहीं कि उसको वगैर संभाले कोई ठीक रख सके। अंग्रेजी में कहावत है। अपोरच्युनिटी मेक्स दीथीफ" (अवसर मानव को चोर बना डालता है।) मेरा निवेदन है कि यह अवसर किसी को भी नहीं मिलना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ जनता के राहत की बातें नहीं हो पा रही हैं वे अविलम्ब होनी चाहिये। लाल फीते की वजह से जो काम आज होने चाहिये वे साल भर तक नहीं हो पाते। इसके साथ साथ मेरा आपसे निवेदन है कि सब कोशिशों के बाद भी अगर आप देखें कि किसी महकमें में भ्रष्टाचार है या कोई अफसर अपने आलस्य से बाज नहीं आता तो उसके साथ कड़ा रुख अख्त्यार करना चाहिये, उसमें किसी बात का लिहाज नहीं करना चाहिये; चाहे वह किसी जाति का, चाहे किसी मजहब का, या चाहे किसी का सिफारिशी क्यों न हो। जब तक उचित सख्ती हमारे राजकाज में नहीं होगी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं वह मकसद हम हल नहीं कर पायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं एक विशेष बात निवेदन करना चाहता हूं जिसके लिए मेरे पास प्रमाण तो नहीं इसलिये मैं इतना जोर देकर तो उसे निवेदन नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी यह कहना चाहूंगा कि इस बात के सम्बन्ध में, जिस इलाके से मैं आया हूं, काफी असन्तोष है, बहुत कुछ बातें कही जाती हैं, और कई बातें हमें सुनने को मिलती हैं। काश ऐसा नहीं होता। कुछ दिनों पहले, कुछ महिने हुए, हमारे इलाको में नमक के होल सेल व्यापारी मुकर्रर हुए और जहां तक मुझे सूचित किया गया है वे व्यापारी मुकर्रर होने चाहिये थे ऐसे लोगों में से थे जो वास्तव में (बोनाफाइड) नमक के व्यापारी रहे हों या जो नमक का व्यापार करते हों। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अन्त में वही काम ऐसे लोगों के हाथ में आगया जिन्होंने अपने आपको एक एसोसियेशन के रूप में बना डाला और उनमें से शायद एक आदमी को छोड़कर, वह भी कभी होल सेलर नहीं था, बाकी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी नमक का व्यापार नहीं

किया। अगर ऐसी बात होती है तो हमारी राय में, उसको आम लोग संदेहात्मक दृष्टि से देखते हैं तो यह अनोखी बात नहीं। कुछ लोग इस काम को करने के लिये तैयार थे; वे राज्य को रोयल्टी के रूप में भी कुछ रकम देने को तैयार थे, लेकिन उनकी यह बात स्वीकार नहीं की गई। फलस्वरूप यह हुआ कि काफी समय तक जनता को महंगी दर से नमक मिलता रहा और इससे राजकीय कोष में भी जो धन आना चाहिये था उससे राज्य वन्चित रहा। मैं एक मर्तबा फिर निवेदन करना चाहता हूं कि यह बातें आपके समक्ष रखने में मैं किसी भी सरकारी मंत्री पर आरोप नहीं लगाने जा रहा हूं लेकिन अगर यह वाकया सही है तो फिर मैं कहूंगा वित्त मंत्री महोदय से कि आप के बजट का जो घाटा है उसको आपके लिये पूरा करना बहुत मुश्किल है। किस मुंह से जनता से हम निवेदन करें कि राज का काम नहीं चल रहा है, आपको और टैक्स देना होगा। जब वर्तमान कोष का भी सदुपयोग नहीं हो रहा है; तो फिर नये टैक्स क्यों दें? मैं चाहता हूं कि सरकारी पक्ष द्वारा इस मामले में, जो काफी गलतफहमी फैली हुई है उसे दूर किया जाय ताकि सरकारी पक्ष के नेक इरादों, नेक उसूलों, पर जनता को दृढ़ से दृढ़तर विश्वास हो सके। जो बुनियादी उसूलों की बजट के सम्बन्ध में आपसे इस हाउस में निवेदन करना चाहता था वह यह थी।

दूसरी बात इस संबन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि अगर हम एक तरफ शासन का स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ हमारा यह कर्तव्य है कि जनता के जीवन का स्तर ऊंचा उठायें। जब तक हम दोनों बातें नहीं कर पाते तब तक हमारे राज्य को सुराज्य नहीं कहा जा सकता। स्वराज्य का मूल लक्ष्य सुराज्य ही तो है; अध्यक्ष महोदय, अगर हम स्वराज्य को सच्चे मायने में समझें। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि हमें इस सम्बन्ध में बिल्कुल संकोच नहीं होगा अगर हमारा राज्य जनता को राहत देने वाली चीजों पर, जनता के आम जीवन का स्तर ऊंचा करने वाली बातों में, सरकारी कोष का ध्यान रख कर हमारी स्वीकृति जिसे जितना भी खर्च कर सकें जरूर करें। जितना आप शिक्षा के सम्बन्ध में खर्च कर सकते हैं, जितना आप चिकित्सा के रूप में खर्च कर सकते हैं, जितना ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में खर्च कर सकते हैं; अवश्य करें। लेकिन जनता को राहत पहुंचाने वाली बातों में हमारे प्रान्त का सबसे पहला पानी का मसला है। हमारे प्रान्त का दुर्भाग्य है कि इस प्रान्त के निवासियों को पीने को पानी लाने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है। एक एक घड़े की कीमत आठ आठ आना देनी पडती है। यह बड़े दुख की बात है। दूसरी ओर बैठने वाले मित्र हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमें केवल आलोचना करने वाले न समझें। हम कोई वाजिब चीज पर ऐतराज करने वाले नहीं हैं; रोड़े अटकाने वाले नहीं हैं। रोड़े अटकाने हम यहां नहीं आये। जिस दिन आप हमें विश्वास करा देंगे कि हम केवल रोडे अटका रहे हैं तो हम यहां नहीं रहेंगे। (हर्षध्वनि)। मैं इसके साथ साथ यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों का भी समय काफी कीमती है, यहां आने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं सिद्ध होता। अगर आपको यह लगे कि विरोधी पक्ष में बैठे हुए हम जनता के काम में रोड़े अटका रहे हैं तो मैं आज ही इस काम से

छुट्टी लेने के लिये तैयार हूं। जिसको आप चाहें यहां रखिये, लेकिन यह बात न आपको शोभा देती है और न हमको शोभा देती है। हम तो किसी भी काम को करना चाहते हैं। महज किसी काम को टालने के लिये या रोड़े अटकाने के लिये नहीं हैं। खाली विरोध के लिये हमें यहां आने से क्या हासिल हो सकता है? इसलिये मेरा निवेदन है कि यहां आकर कोई भी इधर उधर की ऐसी बात इस हाउस में नहीं कहनी चाहिये जिससे कि व्यर्थ में मनमुटाव पैदा हो। हमें यहां काम की बातें कहनी है यदि आपको हमारे द्वारा कुछ काम की बातें मालूम होती हों तो उन्हें स्वीकार करिये, वरना कहिये ये ठीक नहीं हैं—हम उन्हें मानने को तैयार नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण मसलों को यो ही नहीं उड़ा देना चाहिये। जो बातें मैंने आपको बतलाई हैं वे व्यर्थ और अनावश्यक नहीं है। जो हमारे प्रान्त की वस्तु स्थिति है और जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है, उन बातों के संबन्ध में हमारे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम उन्हें आपके सामने रखें और उनके बारे में स्पष्टीकरण मांगें। यदि आपको यकीन हो कि हमने जो कहा है वह गलत है तो आप फरमावें कि सही स्थिति क्या है?

मेरा आपसे दूसरा निवेदन यह था कि जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये जितना धन हमें प्राप्त हो उतना लगाना चाहिये। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी दुकान वगैर पूंजी की दुकान है और जहां तक कर-नीति का प्रश्न है में अर्ज करूंगा कि राजस्थान की जनता करों से काफी दबी हुई है; उसे फिर आप कहां तक दबाइयेगा? यदि कर देने वाले लोगों को यकीन हो कि, उन पर नया कर लगाने से उनके दैनिक जीवन में, उनके नगर के जीवन में, उनके राज्य के शासन में, कोई पहले से अधिक अच्छा काम हो रहा है, उनके शासन में पहले से अधिक सुनवाई हो रही है, या उनके जानमाल की हिफाजत हो रही है, सो भी बात नहीं है; फिर आप बताइये हमारी स्थिति कैसी गंभीर हो जाती है। राज्य के कोष को ठीक संभालकर नहीं रखा जाता और दूसरी ओर जनता को हम यह कहें कि तुम पर ये कर और लगाये जायेंगे क्योंकि राज्य के पास धन नहीं है, यह कहां तक उचित होगा? आप हमारे दृष्टिकोण से देखिये। आप उस स्थान पर से उठ कर हमारे इस स्थान पर बैठें और फिर दोंनो दृष्टिकोणों का समन्वय करें तो फिर आपको सही बात दृष्टिगोचर होगी। में स्पष्ट शब्दों में निवेदन करूंगा कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो यह कहें कि हमारे प्रान्त में किसी प्रकार का टैक्स लगे ही नहीं। टैक्स के वगैर किसी राज्य का काम नहीं चल सकता लेकिन जो पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का है और राज्य के कोष में आता रहा है उसका सदुपयोग होता है या नहीं। वह पैसा किसी भ्रष्टाचार में तो नहीं जाता है। आप अमुक करोड़ रुपयों का बजट बनावें लेकिन देखने की बात यह है कि लोगों को उन रुपयों का रिटर्न मिलता है या नहीं, उन्हें सुविधा की चीजें मुहैया होती है या नहीं? इस सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के नेता का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा और उनसे जो खास दरख्वास्त करूंगा वह यह है कि मैंने यह तो देखा है कि फाइनेन्शियल ऑडिट तो कई बार हुआ करता है लेकिन हमारे प्रान्त में एक एडमिनिस्ट्रेटिव आडिट और होना चाहिये। यहां पर जो काम

अलग अलग विभागों के सम्बन्ध में होने वाले थे, वे काम होते हैं या नहीं। यदि होते हैं तो कितनी रकम बजट में मन्जूर की गई थी, कितनी रकम खर्च हुई और जितना खर्चा हुआ बतलाया जाता है वह वास्तव में जनता के हित में खर्च हुआ या नहीं? यदि इस तरह की कोई मशीनरी हमारे राजस्थान प्रान्त में प्रस्तुत की जाय तो पहले तो यह देखना होगा कि वह स्वयं ईमानदार और नेक होनी चाहिये, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। जो धन यहां बैठ कर हम जनता के खर्च के लिये मंजूर करते हैं वह जनता के हित के काम में लगता है या नहीं; यह देखना लाजमी है। आप कागज में स्वीकृति दे दें कि यह टैक्सों की आमदनी फलां काम में खर्च की जाय और वह भी इसी कार्य के लिए उसी मिकदार में खर्च होगी ही, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

एक और बात मुझे आपके समक्ष रखनी है, उसके बाद में अपना भाषण समाप्त करुंगा, वह यह है कि अक्सर हमें यह सुनने को मिलता है कि हमारे राज्य में फिजूल खर्ची हो रही है, और इसे हमें मिटाना चाहिये। इसमें दो राय नहीं हो सकती। लेकिन कभी कभी इस फिजूल खर्ची को मिटाने के उद्देश्य से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनसे बजाय फिजूल खर्ची रोकने के दूना खर्चा हो जाता है या कुछ गरीब लोग नाहक मारे जाते हैं। मैं रिट्रेन्चमेन्ट (कमी) का मामला लेकर निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे छोटे आदमियों की कौन सुनता है, चाहे वे चपरासी हों या मोटर ड्राइवर हो या इसी तरह के दूसरे लोग हों। अभी हमारे यहां छंटनी हो रही है लेकिन किस उसूल को सामने रख कर हो रही है? यदि रिन्ट्रेन्चमेन्ट (कटौती) हो तो किसी सिद्धान्त पर तो होनी चाहिये। यह नहीं कि एक आदमी १५ साल से नौकर है उसको तो निकाल दिया जाता है और जो पांच वर्ष से नौकर है उसे रख लिया जाता है, क्योंकि उसके लिए किसी की सिफारिश है या वह किसी का कृपा पात्र है। यदि ये बातें रिट्रेन्चमेन्ट के सम्बन्ध में दुरुस्त नहीं की जायगी तो मैं निवेदन करुंगा कि यह ठीक नहीं होगा। आदमी चाहे छोटा हो या किसी बडे पद को संभालने वाला हो, मैं यह कहूंगा, कि दोनों समान रूप से न्याय मांगने के अधिकारी हैं। यदि आप हमारी जनता में यह विश्वास पैदा कर दें कि उनके प्रान्त में न्याय का राज्य होगा, स्वेच्छाचार का नहीं, यदि हम राज्य कर्मचारियों को अपने बर्ताव से, अमल से, विश्वास दिलावें कि हमारे राज्य में उनके साथ नेक नियती से न्याय पूर्ण व्यवहार होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा, ईमानदारी की कद्र होगी, बेईमानों को सजा, विना किसी संकोच के मिलेगी तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस बजट का जो चित्र आपके सामने है उससे हमारी वास्तविक स्थिति अन्ततोगत्वा बहुत कुछ सुधर जायगी और जो आलोचना इस वक्त करनी पड रही है, वह आयन्दा नहीं करनी पड़ेगी।

सरदार दुर्लभसिंह

माननीय अध्यक्षजी, बजट के बारे में इस वक्त तक मेरे ३ माननीय मित्रों ने अपने विचार सदन के सामने रखे हैं। उसकी मोटी मोटी जो बातें मैं समझ पाया हूं, उनकी तरफ मैं इस हाउस का ध्यान दिलाना जरूरी समझता हूं। पिछले

सालों के बजट से इस साल के बजट को तैयार करने में खास महनत और तफसील से काम लिया गया है और इसकी आमदनी में आम तौर से काफी तसरीह की गई है; लेकिन साल ५०-५१ की तरफ जब हमारा ध्यान जाता है और उनसे मौजूदा बजट का तसरीह या मुकाबला करते हैं तो हमें कुछ निराशा सी होती हैं। सन् ५१-५२ के एक्चुअल्स (Actuals) तो हमारे सामने आये नहीं लेकिन जो भी इसके उन हेड्स से मालूम पड़ें हैं देने की कोशिश की है। जहां तक मैंने देखा है सन् ५०-५१ में रेवेन्यू एस्टिमेट (Revenue Estimate) में आमदनी १३ करोड़ ९४ लाख रखी गई थी । इसके मुकाबले में असली आमदनी १४,६०,५३,००० रु० : १४,६०,५२,५५४ रु० हुई और रेवेन्यू (राजस्व) खर्चे का एस्टीमेट १४,८५,७०,००० रु० का रखा गया था जिसके मुकाबले में असली खर्चा सिर्फ १३,९१,२९:०००: १३,९१,२८, ९९८ रुपये हुआ इससे यह जाहिर होता है कि आमदनी के तखमीने और खर्च के तखमीने में कम ज्यादा रकमें रखी गई थी। यह बात कुछ समझ में नहीं आई है कि क्या यह जानबूझ कर किया गया था या और इसका कोई कारण था, लेकिन इस साल यानी ५१-५२ में जो ९१ ·७७ लाख के घाटे के मुकाबले में असली खर्चे में ६९ ·२४ लाख की बचत दिखाई गई है; इसका मतलब यह भी लिया जा सकता है कि एस्टिमेट (Estimate) के मुकाबले में एक्चुअलल्स में १६१ ·११ लाख का फर्क निकला। यह बहुते बड़ा फर्क है। थोड़ा बहुत तो एस्टिमेट (Estimate) और एक्चुअल्स (Actuals) में हो ही जाता है, लेकिन अहम फर्क काबिले गौर है।

सन् ५१-५२ के तखमीने में सीगा नं० ४ में यह जो टेक्सेज ओन इन्कम अदर देन कारपोरेशन टेक्स (Taxes on Income other than Corporation tax) की मद में एग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स रखा गया है। इसमें २५ लाख की आमदनी ५१-५२ के साल के एस्टिमेटेड बजट में दिखाई गई है, लेकिन रिवाइज्ड बजट में यह टेक्स नहीं लगने के कारण यह आमदनी हटा दी गई थी, लेकिन इस साल फिर १५ लाख रुपये इस टैक्स की आमदनी के मद में रखे गये हैं, हालां कि इसके लगाये जाने की पहली बात अभी तक नहीं हुई है। मेरे ख्याल में ऐसी कोई आमदनी बजट में दिखाया जाना ठीक नहीं है जिसके मुताल्लिक लेजिस्लेशन अभी नहीं बना है।

सीगा नं० ७, लेन्ड रेवेन्यू (Land Revenue) की आमदनी सन् ५०-५१ में ४,२०,७७,००० रुपये से कुछ ज्यादा थी, यह जो एक्चुअल्स इस बजट म दिये हुए हैं उनके रेफरेन्स से कह रहा हूं, पिछले साल यानी ५१-५२ में वही ३,५२,००० रु० ही रह गई। इसकी वजह वेरियेशन यह बताया गया है कि इस वर्ष वर्षा नहीं होने से लैन्ड रेवेन्यू सस्पेन्शन में होने के कारण कम हुई, लेकिन अब ५२-५३ के बजट में उस ५०-५१ की असली आमदनी से ४५ लाख रुपये की कमी दिखाई गई है, हालांकि ५०-५१ के एक्चुअल्स (Actuals) के मुताबिक वह आमदनी कम से कम बराबर होना लाजमी था।

इसी तरह सीगा नं० १७ में इरीगेशन (सिंचाई) की असली आमदनी

५०-५१ में १७ लाख थी जो ५२-५३ में ५,३०,००० रु० ही रखी गई है इसका भी कोई कारण बजट में नहीं बताया गया है।

सीगा नं० २३ जो पुलिस का है उसमें ५०-५१ के एक्चुअल्स में रु० ३,५६,३८६ हैं और ५२-५३ में केवल १,५०,००० रु० ही रखे गये हैं। इस आमदनी की कमी की वजूहात क्या है यह कोई उस बजट के वेरियेशन से क्लियर नहीं होता है।

सीगा नं० २९ में एग्रिकलचर (कृषि) के मद में १९५०-५१ में असली आमदनी रु० ६,७८,०६२ बताई गई है लेकिन ५२-५३ में आमदनी उसके मुकाबले में सिर्फ २,२५,००० ही लिखी गई ह।

सीगा नं० ५१ में २ लाख की रकम इस साल नई रखी जाती है वह मकानात बनाने के लिए जमीन की फरोख्तगी से मिलेगी, लेकिन क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह ज़मीन कहां है ? वाकई है या नहीं और उसकी फरोख्तगी गवर्नमेन्ट मन्जूर कर चुकी है क्या ? अगर यह अरबन इम्प्रूवमेंट के जेर तेहत है तो इस इम्प्रूवमेंट (Improvement) के लिए खर्च की मद में कोई रकम नहीं दिखाई गई है तो यह इम्प्रूवमेन्ट किस तरह से होना संभव है।

सबसे बड़ी कमी जो मेरी नजर में आई है वह महकमा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। इस सीगे की आमदनी और खर्चा मैं आपके सामने रखता हूं इस महकमे में ५०-५१, में ११,७३,००० रु० का घाटा हुआ और ५१-५२ में रिवाईज्ड बजट में ओर ५२-५३ के बजट में क्रमशः १६,९५,००० रु० का और १४,५५,००० रु० का घाटा होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का यह घाटा सिर्फ रेवेन्यू खर्चे में है। रेवेन्यू खर्चे के अलावा इस महकमे में ५०-५१ के करीब ४५ लाख रुपये केपिटल में लगे और ५१-५२ में ३० लाख रुपये और ११ लाख ५२-५३ में खर्च किये जाने रखे गये हैं। इससे यह जाहिर होता ह कि यह महकमा लाखों और करोड़ों रुपयों का इनवेस्टमेन्ट (Investment) करने पर भी घाटे में चल रहा है, हालां कि इलेक्ट्रिसिटी जैसा महकमा देश के किसी दूसरे हिस्से में घाटे में नहीं चलता है। इसकी वजूहात समझ में नहीं आती है कि इतना केपिटल इनवेस्टमेंट (Capital Investment) करने के बाद भी, इतनी रेवेन्यू खर्च करने के बाद भी हर साल मुतवातिर घाटा ही घाटा रहा हैं। अगर इसमें आमदेनी का कोई संकेत नहीं हो तो गवर्नमेन्ट इसको लिमिटेड कन्सन क्यों नहीं बना देती और इसको बेचकर जो भी पूंजी प्राप्त हो वह किसी दूसरे काम में लगाई जाय ताकि हर साल के घाटे से तो मुक्ति हो। जैसा कि मेरे एक माननीय मित्र ने पहले जिक्र किया है कि लम्प सम के नाम से एक बहुत बड़ी कटौती की गई, लेकिन यह समझ में नहीं आया।, बजट में कोई क्लियर इन्डीकेशन (Clear Indication) नहीं है कि यह घाटा किस तरह से मेटिरियलाइज किया जाकर खर्च होगा।

सीगा नं० २९ पुलिस में ५०-५१ में असली खर्च करीब २,१९,००० रु०

२,१७,८४,८३८ रु० हुए। इसके मुकाबले में इन दो सालों में यह खर्च २,८०,००,००० रु० तक पहुंच गया है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी की कोई ऐसी वजह स्पष्ट नजर नहीं आती, क्योंकि राजस्थान बन जाने के पहले जो पुलिस का अमला हरेक रियासत के बोर्डर और कैदियों के तबादले पर लगा रहता था अब वह नहीं रहना चाहिये और शायद हटा दिया गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी खर्चे में जो यह बढ़ोतरी की गई है, मेरे ख्याल में इसके मुताल्लिक भी जांच होनी चाहिये और अगर यह खर्चा वाजिब है तो मद में रखा जाना चाहिये।

चन्द एक आंकड़ों को देख कर और भी अफसोस होता है कि जहां गवर्नमेंट को ज्यादा खर्च करना चाहिये वहां वह कम खर्च करती है। मिसाल के तौर पर मैं मेडिकल डिपार्टमेन्ट के आंकड़ों को पेश करता हूं। १९५०–५१ में १,१५,००,००० मंजूर किया गया था, १९५१–५२ में १,१७,००,००० रुपया दिया गया और १९५२–५३ में १,०७,५०,००० रुपये ही रखे गए हैं। अव्वल तो यही बात समझ में नहीं आती कि इस महकमें के खर्चे के तकमीने से रिवाइज्ड बजट में क्यों कर कमी हुई? इससे जाहिर होता है कि या तो जो कुछ जायज रकम रखी जानी चाहिये थी वह नहीं रखी गई या महकमों के अफसरान ने इस खर्चे को मुनासिब तौर पर जिस काम के लिए खर्च किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया। इसके विपरीत हालत यह है कि कई कई अस्पतालों में डाक्टर तो मौजूद हैं लेकिन वहां दवाई वगैरा की बिल्कुल निल रिपोर्ट होती है और जब कोई पेशेन्ट अस्पताल में जाता है तो डाक्टर साहब उसको मामूली से मामूली दवाई भी बाजार से लाने का आदेश दे देते हैं। इसलिये मैं गवर्नमेन्ट से इस बारे में दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे महकमों में कमी न करते हुए कम से कम पिछले साल जो रकम रखी गई थी वह तो रखी ही जाय। क्योंकि इन अस्पतालों वाले महकमें के मेडिकल डिपार्टमेन्ट से पब्लिक का गहरा सम्बन्ध है और देहातों वगैरह में अस्पताल वगैरह खोलने के लिए और प्रोग्रेस होनी चाहिये।

सीगा नं० ४७ (Miscellaneous) मद में इस साल ४० लाख से ज्यादा तकमीना किया गया है। इस (Miscellaneous) के सीगे में छोटे छोटे महकमे बिल्कुल फालतू और गवर्नमेन्ट पर बोझ नजर आते हैं। इन महकमों पर गवनमेन्ट को जितना खर्च करना पड़ता है मेरे ख्याल से गवर्नमेन्ट को उससे उतना लाभ नहीं होता। स्टेट गेरेज, ओटोमोबाइल डिपार्टमेन्ट, फराशखाना वगैर पर गवर्नमेन्ट काफी रुपया खर्च कर रही है, जब कि इससे आमदनी का कोई जरिया नहीं है। पुराने वक्त में यह महकमें राजा महाराजाओं क ठाट-बाट को कायम रखने के लिए चलाए जाते थे पर अब तो इनसे कोई फायदे की सम्भावना नहीं है। लाखों रुपया हर साल खर्च हो रहा है तो इस तरह यह खर्चे भी कम करके गवर्नमेन्ट को और दूसरे किसी मद में लगाना चाहिए जहां कि फायदा हो सके। और जो इस प्रकार का घाटा हो रहा है उसे भी पूरा किया जा सकता है।

(माननीय अध्यक्ष ने समय समाप्ति की सूचना दी।)

श्री दुर्लभसिंह:—

मैं २–३ मिनिट और बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष:—

आप जनरल डिसकशन कर रहे हैं या आइटम वाइज बोल रहे हैं?

श्री दुर्लभसिंह:—

आइटम वाइज बोलना ही तो जनरल डिसकशन है।

माननीय अध्यक्ष:—

आर्डर–आर्डर।

श्री तेजमल बाफना:—

अध्यक्ष महोदय, ३ वर्ष से बने हुए इस वृहद् राजस्थान के बाद आज बालिग मताधिकार के ऊपर चुने हुए प्रतिनिधियों के समक्ष राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय ने अपने एक वर्ष का आय व्यय का जो व्योरा सदन के सामने पेश किया है इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद अर्पित करता हूं। बजट एक बहुत आवश्यक चीज है और वह हमें एक वर्ष के लिए किस रास्ते पर चलना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बात का स्पष्ट व्योरा देता है। इसके साथ बजट में जो बहुत से आवश्यक प्रयोजन रखे हैं, जिसमें बहुत सी रकम बढ़ाई गई है उसके लिए भी मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता। फिर भी हमें यह बताया गया है कि हमारे राजस्थान का इस साल का बजट ९३,५०,००० रुपये के घाटे का बजट है। यह इस बात को साबित करते हैं कि हमारा राजस्थान एक प्रगतिशील राजस्थान बनाया जा रहा है और जितनी भी बातें बजट में बताई गई हैं वे सब आवश्यक है। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या फाइनेन्स मिनिस्टर ने जितना रुपया अपने बजट में जिस काम के लिए रखा है वह जिन जिन जगहों पर खर्च करने की आवश्यकता होगी होगा। मैं यह अर्ज करूंगा कि वह पैसा उसी जगह खर्च होना चाहिये जहां उसकी ज्यादा आवश्यकता हो। इस बजट को शुरू से देखने से मुझे तो कम से कम यह प्रतीत होता है, कि देश के जो हिस्से बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं हमारी सरकार उनको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना चाहती है और जो हिस्से पिछड़े हुए हैं उनको बहुत ज्यादा पिछड़े रखना चाहती है। उदयपुर डिविजन का हिस्सा बहुत कुछ शिक्षा व इरीगेशन आदि के मामलों में पिछड़ा हुआ माना जाता है। इस सम्बन्ध में मैं शिक्षा के सम्बन्ध

की छोटी सी एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं और वह यह है, अध्यक्ष महोदय, कि भीलवाड़ा नगर में आज इन्टर कॉलेज खुले ३ साल हुए हैं वहां पर हाई स्कूल पहले ही मौजूद था। उसी को इन्टर कॉलेज में परिणित किया गया था। वहां कॉलेज में केवल ४–५ कमरों में छतें नहीं है। उन कमरों में पहले भी छते नहीं थी। सरकार ने कालेज बनते समय यह आश्वासन दिया था कि जल्दी ही छतें बन जावेंगी। मगर वे छतें आज तक नहीं बनी हैं। वहां की जनता ने सरकार से कई बार प्रार्थना की और उसके फलस्वरूप अभी से करीब डेढ़ महीने पहिले सरकार ने यकायक काम शुरू करा दिया और छतों के लिये सारा मेटिरियल वगैरह मंगा कर रखा। अभी भी वह सारा मेटीरियल पड़ा हुआ है। मगर मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि इस काम को फिर, वापिस, यकायक सरकार ने बन्द कर दिया है। यह समझ में नहीं आता कि क्यों? इसके अलावा एक दूसरी इमारत बनाने के लिए तीन साल हुए उसकी नींव डाली गई है। नींव पड़ गई है और थोड़ी थोड़ी उसकी नींव की दीवारें भी लोगों को दिखाने के लिये कि इमारत बन रही है ऊपर आई हुई दिखाई दे रही है लेकिन अभी तक उसका पता नहीं कि वह इमारत क्यों नहीं बनी ? सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है? क्या कोई कागजात चल रहे हैं या नहीं? इसके लिए ३ लाख रुपया किसी इन्स्टिटयूसन ने दे रखा है।

हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता इस बात की है और हमारा जोर इस बात पर होना चाहिये कि बजट उचित रूप से अंकित हो और जो पैसा कहीं भी लगाया जावे उसका पूरा फायदा वहां के लोगों को मिले।

इसके अलावा मैं अब सर्विसेज के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं। सर्विसेज के मामलों के विषय में श्री इन्द्रनाथजी मोदी के विचारों से बिल्कुल सहमत हूं कि सर्विसेज को सीक्योरिटीज दिलाने में उनके साथ किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं की जानी चाहिये। मैं यह कहूंगा कि इस बात की जिम्मेदारी सरकार पर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाहर से आए हुए व यहां के बहुत से अफसरों की तनख्वाहें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। हमारा देश गरीब है। अतः वेतन भी उसी के अनुसार होना चाहिये।

हमारे यहां भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। हर विभाग में भ्रष्टाचार पाया जाता है। यह हो क्यों रहा है, समझ में नहीं आता। मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा कि उसको शीघ्र चेक किया जाना चाहिये और उसको चेक करने का एक जरिया है तो वह एन्टी करेपशन डिपार्टमेन्ट। मगर जब मैं बजट को देखता हूं तो मालूम होता है कि इस विभाग के लिए बजट में १२ हजार रुपया सालाना खर्च का रखा है। मैं यह कहूंगा कि १२ हजार रुपये सालाना से कैसे अफसर यहां रहेंगे यह समझ में नहीं आता। मैं यह कहूंगा कि एक हजार रुपये माहवार में क्या हो सकता है? किस प्रकार के अफसर इस विभाग में रखेंगे। मेरे ख्याल से यह एन्टी करेपशन डिपार्टमेन्ट करपशन डिपार्टमेन्ट खुद बन जावेगा। हमको सब तरह से देखना चाहिये कि कोई भी बेईमानी न करे; अगर कोई बेइमानी करता है तो उसको फौरन सजा देनी चाहिये। तभी

पब्लिक को पता चलेगा कि हमारी सरकार बेइमानी करने वालों को सजा देने में जागरूक है।

इसके अलावा मैं अब लेबर वेल फेअर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारा राजस्थान इस संबन्ध में बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारा मजदूर वर्ग भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिये लेबर डिपार्टमेन्ट का लेबर वेल फेअर विभाग को लेबर की हिफाजत करनी चाहिये। हमारे यहां लेबर को वर्क देने के लिये इन्डस्ट्रीयल सेन्टर होने चाहिये। इस ओर सरकार को तवज्जह देनी चाहिये। भारतवर्ष में जहां हमारे पास बहुत भूमि है हमें उससे उत्पादन बढ़ाना चाहिये। आज लेबर पूंजिवादियों के हाथ है। लेबरर को पूंजीवादी, जब चाहें निकाल देते हैं और जब चाहें रख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये। हाल ही में एक इन्डस्ट्रीयल ट्रीब्यूनल ने एक व्यक्ति के लिये यह फैसला किया कि इसको एक महीने में सारी तनख्वाहें आदि दे दी जानी चाहिये; मगर आज दो महीने होने को आये हैं कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। यह फैसले पर अमल कराना हमारी सरकार का काम है। हमारी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात में यह बताना चाहता हू कि हमारी सरकार ने बहुत सा रुपया शेअरों के रूप में कई इन्डस्ट्रीज में इनवेस्ट किया है। उसको तीन चार साल का अर्सा हुआ किन्तु कोई फायदा नहीं हुआ। इसके फलस्वरूप लाखों रुपया सरकार का कोरपोरेशन में बेकार पड़ा हुआ है।

सिंचाई की ओर ध्यान दिलाता हुआ मैं यह बताने की कोशिश करुंगा कि उदयपुर की तरफ सिंचाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। सरकार की यह योजना है कि रेगिस्तान आगे न बढने पावे। मगर तीन वर्ष में जो देखने को मिला है उससे पाया जाता है कि भीलवाड़ा जो रेगिस्तान के बोर्डर पर आया हुआ है दिनों दिन वहां रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है; इसको रोका जाए। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेजा का डेम आज से ३ वर्ष पहले जब फोरमर राजस्थान बना उस समय से योजना में शामिल था। हमें आशा थी कि मेजा डेम शीघ्र तैयार हो जावेगा। मगर उसका इस बजट में बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया है हालांकि डेम अभी तक तैयार नहीं हुआ है। मेरा यह ख्याल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह बजट केवल कुछ शहरों और कस्बों के लिये ही बनाया गया है। ग्रामीण व पिछड़े हुए ग्रामों और लोगों के हित के लिए मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रोवीजन बजट में नहीं रखा गया है।

अब मैं आपका ध्यान ग्राम पंचायतों व कोओपरेटिव सोसाइटीज की ओर दिलाना चाहता हूं। जो हालत ग्राम पंचायतों की है वही कोओपरेटिव सोसाइटीज की भी है। जनता इसके लिये मांग करती है मगर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। राजस्थान में इन तीन वर्षों में जिस प्रकार की सरकार बनी है इससे यह अन्दाज हो सकता है कि दर असल इन बातों पर सरकार ने अपना ध्यान नहीं दिया। लेकिन साथ ही साथ मैं यह मानने के लिये भी तैयार नहीं हूं

कि इतने थोड़े समय में जितनी बातें मैंने व मेरे दूसरे मित्रों ने बताई हैं उन पर आज की जिम्मेदार सरकार ध्यान देगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि हमारी बातों पर ध्यान दें। हमारे राजस्थान को हमें ऊंचा उठाना है।

एक बात मैं और जरूरी बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि हम हमारे बजट में बहुत कमी करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि दर असल हमारा खर्चा बहुत कम हो ओर आमदनी बढ़े। लेकिन यदि आप सप्लाई विभाग का मुलाहिजा करें तो मुझे आपको कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि आज प्रोक्योरमेन्ट पर लाखों रुपया सरकार की ओर से खर्च होता है फिर भी जो धान प्रोक्योर किया जाता है उसको, इस बात को देखने की सरकारी अधिकारी तकलीफ नहीं करते कि वह धान जो इकट्ठा किया गया है और भेजा जा रहा है वह ठीक है या नहीं। वह ऐसी जगह तो नहीं भेजा जा रहा है जहां हजारों मन नाज पहले ही पडा हुआ है और सड़ रहा है। नतीजा यह होता है कि जहां अनाज पहुंचना चाहिये, वहां नही पहुंचता है। प्रोक्योरमेंन्ट पर हजारों रुपया खर्च होता है। बाजार में उसी भाव से धान मिलता है। समझ में नहीं आता फिर यह खर्चा क्यों रखा जाता है ? केवल मशीनरी को बिठाई रखने के लिये सरकार की तरफ से यह खर्चा रखा जाता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्री का ध्यान में इस और आकर्षित करुंगा कि जितना रुपया हमारा अनाज के नष्ट होने में बरबाद होता है उसकी तरफ अवश्य ध्यान दिया जावे।

इसके साथ साथ में आखिरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि आज बहुत सी जगह पर बिजली के प्लान्ट इसलिये लगाये जाते हैं कि आमदनी में वृद्धि हो। मगर में कहूंगा कि बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां प्लान्ट है मगर कुछ चीजों के न होने से उससे ज्यादा बिजली पैदा नहीं की जा सकती है। यह बात सरकार को मालूम होनी चाहिये। साधारण सी बात है हमारे भीलवाड़ा नगर में बिजली का प्लान्ट लगा हुआ है। उससे ७ बजे से ११ बजे तक बिजली सप्लाई की जाती है। उसके बाद सारा शहर अंधेरे में रहता है। वहां पर सिर्फ १५० होर्स पोवर के जेनरेटर की कमी है। अगर जेनरेटर आ जाता है तो कितने ही कल कारखानें चल सकते हैं। इससे आमदनी बढ सकती है। पता नहीं सरकार इस ओर क्यों नहीं ध्यान देती है। इसके अलावा खास बात ध्यान में रखने की जो है वह यह कि जितना रुपया प्रोविजन में रखा जावे वह रुपया उसी कार्य पर खर्च किया जाना चाहिये। मगर यह देखने में आया है कि जितना रुपया प्रोविजन में रखा जाता है मसलन १० हजार रुपया, तो २ हजार रुपया उस कार्य में लग जाता है और बाकी का रुपया ऊपर का ऊपर ही न मालूम कहां चला जाता है? मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इस बात की ओर पूरा ध्यान देंगे कि जो रुपया मंजूर किया जावे वह वास्तव में खर्च हो।

श्री खेतसिंहः—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह से अभी तक जितने भी वक्तव्य सदन के सामने

हुए हैं उनमें सबने अपने अपने इलाके की परेशानियां पेश की हैं लेकिन किसी ने भी माननीय वित्त मंत्री की परेशानी, जो ९३।। लाख के बजट के घाटे के पूर्ति के लिए है उनको इमदाद देने की कोई बात सदन के सामने नहीं रखी। मैं सदन के सामने कुछ ऐसी बातें रखता हू जिससे माननीय वित्त मंत्री को इस बड़े घाटे में कुछ कमी आ सकती है। भूतपूर्व जोधपुर रियासत के एक कोने में छोटी सी तहसील शेरगढ़ है; अब यह जोधपुर डिविजन में है। इस शेरगढ तहसील में पहले रियासत के जमाने में एक छोटी सी डिस्पेन्सरी एक कोने में खोली गई थी। उसके बाद में जब राजस्थान बना तब भी इस तहसील में जिसकी आबादी १ लाख ९ हजार ह, एक ही डिस्पेन्सरी रही है। और इस डिस्पेन्सरी के लिए एक डाक्टर रहता है। दवाई की सुविधा रहती तो मुमकिन है कि कुछ मरीजों का इलाज हो जाता लेकिन डिस्पेन्सरी में न तो डाक्टर लगातार रहता है और न उसमें दवाइयां ही रही। एक दफा एक आदमी भारी चोट के कारण इस डिस्पेन्सरी में पहुंचा जो तहसील शेरगढ के कानोडिया ग्राम का रहने वाला किसान था। डाक्टर साहब ने कहा मेरे पास तो सिर्फ टिन्चर आयोडिन के सिवाय दूसरी दवा ही नहीं है। अगर ऐसी डिस्पेन्सरियां न रखी जायं तो मेरे ख्याल से उत्तम होगा। इसलिये यह सुझाव रखता हू कि इस डिस्पेन्सरी को बन्द करने से मेरे ख्याल से कम से कम २ हजार रुपये का लाभ अवश्य सरकार को हो सकता है। (चीअर्स) साथ ही यदि ऐसी डिस्पेन्सरियां सरकार कायम रखना चाहती है ताकि जनता को कुछ इलाज प्राप्त हो सके तो सरकार यह समझते हुए भी कि हमारा बजट घाटे का है लोगों के लिये कुछ चिकित्सा का प्रबन्ध करे। सरकार को चाहिये कि इस तहसील की ओर ध्यान दे। इस तहसील की आबादी १ लाख ९ हजार के लिए एक अन्य डिस्पेन्सरी मध्य के किसी गांव में खोल दी जाय तो उत्तम होगा। इसके साथ ही इस तहसील में यूनानी शफाखाने, आयुर्वेदिक औषधालय जसा कि वित्त मंत्री ने बतलाया है नहीं है। हम तो यह सोचते हैं कि आया उन्हें प्रोत्साहन मिलता भी है या नहीं।

शिक्षा को लीजिये। शिक्षा के लिए इस मंत्री मंडल से पहले के मंत्रीमंडल ने शायद प्रचार के लिए कुछ स्कूल जरूर खोले। इन स्कूलों की संख्या कुल ९ है जिनमें से ३ में मास्टर हैं अन्यों में मास्टरों की हाजरी दर्ज है। तनख्वाह मास्टर उठाते हैं लेकिन कभी रेगिस्तान में नहीं रहते। इससे बेहतर यह होता कि वे स्कूल रखे ही नहीं जाते। अगर रखे जाते हैं और जनता को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो मेरा सुझाव यह है कि वहां के लोगों को जो पोशालों में गुरू हुआ करते हैं कुछ रुपया देकर रख दिया जाय तो अच्छा हो।

धान की समस्या को लीजिये। बीज के लिए शेरगढ हमेशा से सरकार का मोहताज रहा है क्योंकि वहां पर फसल नहीं होती। यह बदकिस्मती शुरू से रही है। वर्षा के दिनों में हर किसान को बीज की सख्त जरूरत रहती है। गत वर्ष जब वर्षा हुई तब हमारे किसान तहसील में गये, प्रार्थना की कि हमें बीज मिलना चाहिये; जिस पर तहसीलदार साहब ने बड़े अदब के साथ कहा, हमको जयपुर से हुक्म नहीं आया, हुक्म की इन्तजार है; हुक्म आने पर बीज दे दिया जायगा और इस प्रकार बीज न बोये गये। इस प्रकार किसानों को बीज नहीं मिला

और वे न बो सके। इससे किसानों को नुकसान हुआ है, यह किसानों के लिए लाभप्रद चीज नहीं है।

पशु चिकित्सा के लिए वेटरनरी अस्पताल के लिए एनिमल हस्बेन्डरी के लिए हमारी सरकार तवज्जुह दे रही है। इसके लिए बजट में ९० लाख रुपया करीब का ब्यौरा दिया गया है। मेरे ख्याल से राजस्थान पशु-पालन इलाकों में शेरगढ एक ऐसी मशहूर जगह है जहां पर लोगों का अधिकांश जीवन पशु पालन पर ही व्यतीत होता है लेकिन आज तक इन तीन वर्षों में इससे पहले रियासती राज्य में कभी भी, कोई भी पशु-पालन क्रिया में कुछ सुविधा देने के लिए, उनको नये तरीके सिखाने के लिए, उनकी इमदाद करने के लिए, किसी भी सरकार ने प्रयत्न नहीं किया है। यहां तक एनिमल हस्बेन्डरी का अस्पताल भी वहां पर, जो राजस्थान में पशु पालन का एक बड़ा इलाका है नहीं खोला गया। पशुओं की गणना हो रही है और शायद शेरगढ राजस्थान में दूसरा या तीसरा नम्बर आवे। ऐसी हालत में मैं सुझाव पेश करूंगा कि यह जो वृक्षा-रोपण में जो पैसा खर्च किया जाता है नहीं किया जाय; तो अच्छा है। वृक्षा-रोपण के लिए २० लाख का ब्यौरा दिया गया है। इनमें से बहुत कुछ प्रगति की गई है लेकिन मेरे ख्याल से २५ मील का रेगिस्तान रोजाना बढ रहा है। राजस्थान और यू० पी० में बढता आ रहा है; ऐसा हो रहा है शेरगढ और जैसलमेर की कृपा से। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस इलाके पर इस बारे में ज्यादा से ज्यादा तवज्जुह दी जाय। अभी तक मेरे ख्याल से वहां की जनता को ऐसा कोई महोत्सव मनाया जाता है उसका भी ख्याल नहीं होगा।

इस प्रकार से एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्ज का नया विभाग खोला गया है। इसके लिए सेन्टर से भी इमदाद मिला करती है। अभी जयपुर में इसका महोत्सव बड़ी धूम धाम से मनाया गया। लेकिन मैंने देखा कि इस महोत्सव में जहां एक ओर प्रगति बतायी गई है दूसरी तरफ करीब ३ हजार मिलिटरी सिपाही बेचारे दरवाजे घूमते फिर रहे हैं उनकी बेकारी को मिटाने के लिए किसी भी तरह सरकार द्वारा प्रबन्ध नहीं किया गया।

पानी के लिए, जैसा कि वित्त मंत्री ने बतलाया है कि ९३ लाख के करीब पानी की सुविधा करने के लिए खर्च बतलाया है। मेरा जहां तक ख्याल है; पानी का जितना कष्ट शेरगढ को उठाना पड़ रहा है राजस्थान के किसी भी अन्य इलाके को नहीं उठाना पडता होगा। मेरे कई साथियों ने हमदर्दी दिखलाई और कहा कि एक एक घड़े के लिए आठ आठ आना देने पडते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि आठ आने में घड़ा कहां मिलता है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि २० - २५ मील से पानी लाना पड़ता है। उसके लिए हमारी सरकार ने न मालूम कितना बजट हमारे लिए रखा है? नहीं कह सकता। जहां तक मैं कह सकता हूं जितनी शोचनीय दशा हमारी है, इस मामले में शायद राजस्थान में कहीं नहीं होगी। लिहाजा इन सब बातों को देखते हुए मैं अन्त में यह कहूंगा कि अगर हमें इन सब बातों को रफा करना है तो ऐसे अस्पताल खोले जायं जहां सुचारु रूप से दवाई आदि का प्रबन्ध हो; यदि नहीं हो तो बन्द कर दिये जायं। अगर उसमें प्रगति करनी ह तो घाटे की परवाह नहीं करते हुए सेन्टर से इमदाद लेकर ऐसे कामों को आगे बढाना चाहिये।

Shri Raja Man Singh,

It is a matter of great distress that once again the budget of Rajasthan is being declared deficit. I should like to remind the House, that before the formation of Rajasthan, practically every covenanting State was proclaiming a surplus budget, and the word deficit was seldom heard of. To substantiate this I draw the attention of the House to statement No. 1, page No. 135 of the Budget Memorandum; according to which Rs. 15,80,00,000 were transferred to the Rajasthan Government by the covenanting States in the form of G. P. Notes, Fixed Deposits, Postal Certificates etc. A further asset of Rs. 2,11,00,000 was also handed over, as per statement No. 5 of the Memorandum. Out of this accumulated amount, I am sorry to point out, almost Rs. 3,50,00,000 have already been spent during the short life of our Province. Should the drain on the Reserves of Rajasthan continue at this rate, then I am sure, the House will realise that bankruptcy stares us in the face.

The main item of expenditure in the budget can be summed up under the head Civil Administration, which comes to more than Rs. 8 crores, and which is practically half of the total Revenue Receipts. A good Government normally earmarks only 33% of its revenues for this purpose. This is obviously too much. Leaving aside the "Charged" expenditure, on which the House has no jurisdiction to make amendments whatsoever, I entirely confine myself to the "voted" items, which can be reduced by the authority of this House.

Under the Civil Administration, I point out that it is top heavy administration and highly salaried officers getting approximately Rs. 3,000 per month, and who are vertually "White Elephants" to our poor State.

Over Rs. 33 lacs are budgetted to be spent on Rajpramukh's staff, Ministers, Counsellors and Civil Secretariat only. Over and above last years budget nearly Rs. 2 lacs have been increased under the head of Ministers and Counsellors. Will the Hon'ble Finance Minister inform the House the necessity of increasing this amount under the present deficit circumstances.

During the year 1951-52 water and electric charges at the Residences of the Ministers amounted to only Rs. 7,500. While during the year 1952-53 for a fewer number of Ministers, the item is budgetted at Rs.13,200/-. From these facts, I appreciate the intention of these gentlemen to live cleaner. But I must appeal to the Hon'ble Ministers that they use utmost economy in their consumption of water and electricity.

No other Province, with the possible exception of Madras, is maintaining an Air Force. We can easily save Rs. 110 thousands, as an economic measure in this Head. Planes can be chartered from the Commercial Companies available for the use of the Rajpramukh and the Ministers. (Any way no planes are required for flying to the Banasthalies of Rajasthan). State aircraft, which I am told number approximately forty can be disposed off and the amount can be used for wise Capital Investment.

When I read a loss of approximately Rs.15 lacs from the Electricity Head, I cannot resist from charging the Government with mal-administration and mis-management of this department, which should in the normal course be a profitable concern. Repeated black-outs in Jaipur and in other places of Rajasthan are a matter of daily inconvenience to us all.

If the Government own to the fact that they are unable to run this department economically, I am sure a good income can be derived, if the various power-houses are handed over to experienced and efficient private concerns, under well guarded leases, protecting the interests of the Government and the Public. Before integration Jodhpur Power House was giving a profit of approximately Rs.4 lacs on an average.

When I come across statement No.11, showing investments in various concerns to the tune of approximately Rs. 2 crores yielding no dividends, according to the words of the Hon'ble Finance Minister, I must remind the House of this collossal waste of State Resources. Rs.75 lacs alone have been fully paid up by the Government to the Jaipur Udyog Ltd., of Sawai Madhopur, which concern has been dormant for the last three years. Will the Government inform the House what effective measures have been taken up to safeguard this huge amount of public money, which has been handed over to these private concerns, to whom public funds have been so liberally subscribed with no apparent returns.

Certain P. W. D. works in progress, as for example Kalisil Project in Karauli Sub Division, have been discontinued during the current year for want of funds, while new works have been taken up. Does this not amount to washing off of all Government investments on such incomplete projects during the coming rains ?

A sum of Rs.3 lacs have been earmarked for the Bharatpur Drainage and Water Supply funds, as per statement No. 12, while in appendix B & C of the proposed works to be taken up

in the current year. No mention of these two items appear at all. I should like to point out that a lot of high hopes were given to the people of Bharatpur, about these two schemes by the previous Government during the elections.

Reference has been made and I again remind the House Sir, that so·ue Rs. 5 lacs of public money was, I am told, distributed to the Congress Mandals for constructive works by a previous Government of Rajasthan. May I request the Treasury Benches to place before the House a detailed account of this money and to report whether any enquiry was made by the Government with regard to its bonafide use.

We have not been given much time to study this budget in detail, but I have tried to expose certain fallacies most apparent to me with the sincere hope that we will use our heads for purposes other than merely supporting head-dresses.

श्री बद्रीप्रसाद:—

अध्यक्ष महोदय, बजट के सम्बन्ध में दोनों पक्षों से जो भाषण दिए गए हैं उनमें राज्य के सम्बन्ध में बहुत सी खराबियां बताई गई है और इसके अलावा भी इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही जा चुकी है लेकिन मैं इस सदन का समय उन खराबियों की ओर ध्यान दिलाने में खर्च नहीं करना चाहता हूं; बल्कि मैं एक सुझाव पेश करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से यह जो सारी खराबियां नजर आ रही है उनकी वजह इंतजाम करने वालों की नहीं बल्कि उस सिस्टम (प्रथा) में; उस तरीके में खराबियां हैं जिससे कि सारा इंतजाम हो रहा है। बहुत सी बातें कही गई। एक तरफ यह सुना गया कि भाखरा डेम जो बन रहा है उसमें सारी गड़बड़ हो रही है, दूसरी तरफ एक माननीय सदस्य ने यह बतलाया है कि उनके गांवों के तालाब में जिसकी दुरुस्ती होनी चाहिए थी वह चार साल से नहीं हो पायी है। मैं समझता हूं कि दोनों कामों का करने वाला वही शख्स है जिस पर इस काम के करने की जिम्मेदारी है। एक इंजीनियर है जिसका काम भाखरा डेम को देखना है और गांव के तालाबों को भी दखने का है। डायरेक्टर आफ मेडिकल सर्विसेज खुद सारे राजस्थान में दवाइयों और अस्पतालों के चलाने का जिम्मेदार होती है, वह गांव २ में दवाइयां नहीं देता है। मैं समझता हूं यह खराबियां जब तक सेंट्रलाइज सिस्टम चलता है, जब तक यह सारा केन्द्रीकरण रहेगा, रहेगी। जब तक हम इसको डिसेंट्रलाइज नहीं करते हैं, यानि जिस आदमी का काम है वह उसके सुपुर्द नहीं करते तब तक शायद यह खराबियां दूर होने वाली नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इस बारे में बहुत सी बातें कही गई है। अगर सेंट्रल गवर्नमेन्ट यह सोचे कि प्रान्त का जैसा शासन चल रहा है और वह चाहे कि राज्य का इंतजाम चाहे वह गांवों का हो या जिले का या वह जिले से ऊपर का हो सब अपने हाथ में रखे और राजस्थान असेम्बली और राजस्थान सरकार को कुछ न दे तो वह इंतजाम नहीं चलन वाला

है। यह हाल राजस्थान का हो रहा है। मुझे दुःख तो इस बात का है कि इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं बढाया जा रहा है जो त्रिकेन्द्रीकरण का तरीका है, हमारे यहां का गांव जिसके बारे में शिकायत है कि गांवों के रहने वाले हैं उनको किसी तरह का फायदा नहीं पहुंचता है, उनको रोजाना परेशान किया जाता है, पुलिस और पटवारी परेशान करते हैं। हम यदि यह मान लें कि एक गांव या ५ गांवों को मिला कर एक केन्द्र मान लें, इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव युनिट की तरह रखा तो में समझता हूं कि हमारी बहुत सी दिक्कतें मिट जायगी इस सम्बन्ध में बहुत सी जगह इसका प्रयोग भी किया जा रहा है। यू. पी. वगैरह में इसका प्रयोग किया जा रहा है कि गांवों की पंचायतें बनाकर उनको बहुत से अधिकार दिए जा रहे हैं; जिनकी वजह से बहुत सी दिक्कतें दूर हो जायगी। हैदराबाद में गांवों की पंचायतों को इंतजाम चलाने के लिए वहां के रेवेन्यु का कुछ हिस्सा दिया जा रहा है। में समझता हूं कि अगर ५ व ६ गांवों की पंचायत बना कर उस गांव की पंचायत को इंतजाम दें तो जो माननीय सदस्य शिकायत कर रहे हैं उनकी शिकायतें दूर हो सकती है और वे लोग वहां की समस्याओं का इंतजाम आसानी से कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि दवाइयों की हालत बड़ी खराब है तो मैं समझता हूं कि दवाखानों का इंतजाम पंचायतें अपने हाथ में लें; जिससे वे उसे आसानी से कर सकेंगी। इस प्रकार से और भी बहुत सी शिकायतें हैं यानी लॉ एन्ड आर्डर की जो समस्या बनी हुई है। इस बात के लिए गांवों को अगर यह काम सुपुर्द किया जाय जैसा कि यू० पी० में गांवों की पंचायतों के सुपुर्द किया जा रहा है तो गांव के आदमी इस बात की शिकायत आपके पास नहीं आने देंगे कि वहां लां एन्ड आर्डर टूट रहा है। आज शासन में जो गांवों के रहने वाले काश्तकार हैं; अन्य लोग हैं ऐसी बातों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, यदि उन पर इस बात की जिम्मेदारी डाल दी जायगी तो लॉ एन्ड आर्डर की समस्या बड़ी आसानी से हल हो जायगी।

इसके साथ ही और भी बहुत सी शिकायतें है। वे भी बहुत आसानी से दूर हो जायंगी इस बारे में देश के राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी ने बहुत सी बातें कहीं है मगर उन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। में समझता हूं कि हमारी सरकार इस ओर बहुत जल्दी ध्यान देगी।

आजकल का जो इंतजाम है, उसमें जो गड़बड़ नजर आती है, हमारा जो शासन का तरीका है, वह बहुत ,ही सोचनीय है, उसके अन्दर में समझता हूं,

जैसा कि बजट आया है, और जो रिपोर्ट है उससे यह जाहिर होगा कि एक तरफ सेक्रेट्रियेट में सेक्रेट्री, डिप्टी सेक्रेट्री, अन्डर सेक्रेट्री है और सेक्रेट्री का एक बहुत बड़ा स्थान है। सारे राजस्थान की पॉलिसी का वह जिम्मेदार है, दूसरी तरफ सेक्रेट्रियेट के अलावा एक डायरेक्टर का तबका और होता है जिसकी जिम्मेदारी पालिसी जो बनाई जाती है उस पालिसी को चलाने की होती है। इस प्रकार दो अफसर होते हैं; एक सेक्रेट्री यानी राय देने वाला और दूसरा राय के मुताबिक काम करने वाला। इसमें एक अफसर निरर्थक है। जहां तक लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट का मेरा अनुभव है, मैं यह जानता हूं क्योंकि इस सम्बन्ध में मुझे बहुत कुछ काम पड़ता रहता है। वहां एक सेक्रेट्री है दूसरा एक डायरेक्टर आफ लोकल बोडीज है, दोनों बराबर की ग्रेड के आदमी हैं। जहां तक मैं समझता हूं उनको बराबर तनख्वाह दी जाती है। उनमें से एक शख्स जो राय देने वाला है वही उसको कार्यान्वित भी कर सकता है। और मैं समझता हूं कि कई जगह कमिश्नर्स भी हैं उनको हटा कर जैसा कि हमारे फाइनेन्स में कमी है उस कारण रेवेन्यु सेक्रेटीज और डिप्टी कमिश्नर्स पर खर्च किया जाता है उनमें से किसी एक को हटाया जाय। इस सम्बन्ध में एक्सपेरिमेन्ट हो रहे हैं। वह एक्सपेरिमेन्ट काफी कामयाब हुए हैं। इस प्रकार सेक्रेटी और डायरेक्टर दोनों में से एक आदमी काम कर सकता है। इससे करीब २ हमारी आमदनी २५ लाख के करीब बच सकती है।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां पर इस समय जो लोग गवर्नमेन्ट में माने जाते हैं, ऐसा आम तौर पर विश्वास किया जाता है कि जिम्मेदार आदमी तो कांग्रेस के मंत्री, है, लेकिन कौंसिलर्स की जिम्मेदारी है और जिन पर कि बहुत कुछ हो सकता है कि किन्हीं कारणों की वजह से ऐसी स्थिति रही है। मैंने पिछले डेढ़ साल पहले एक सर्क्युलर ऐसा देखा था जिसमें डिप्टी कलेक्टर्स को यह हिदायत की गई थी कि जब तक एडवाईजर्स की तरफ से मुकम्मिल तौर पर कोई हुक्म नहीं हो मिनिस्टरों के हुक्म को नहीं माना जाय,। अगर इस तरह की बातें चलती हैं तो हमारे शासन चलाने वाले हैं वे नहीं चला सकते हैं। ड्यूल गवर्नमेन्ट, किसी भी जमाने के इतिहास में देखने में आई है वहां नाकाबिल रही है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो हम दोनों पक्षों के जो १६० सदस्य यहां पर मौजूद हैं उनको मिल कर एक आवाज से इस बात का विरोध करना चाहिये कि जिम्मेदारी किसकी है, दरअसल में राज्य करने वाले और कोई हो और यह बात इस स्वतन्त्रता के जमाने में चलने वाली नहीं है। आशा है सरकार इस मामले में ठीक २ कदम उठायगी अगर ऐसी बात नहीं है तो बहुत

अच्छी बात है। मगर यदि ऐसी कोई बात हो तो उसे खत्म कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में कोई दलील की जरूरत नहीं है। मैसूर में अभी हाल में यह बात खत्म हो गई है। इस प्रकार और भी जगह हैं जहां इस बात की मांग है। मैं समझता हूं यह होना चाहिये। हम सब सदस्यों को मिल कर कहना चाहिये कि हम कोई नाबालिग या नाकाबिल नहीं हैं जिससे कि आई० सी० एस० रखे जाय। मैं समझता हूं कि सदन के जो १६० सदस्य हैं उनमें काफी योग्य और काबिल आदमी हैं, जो राजस्थान के इस पिछड़े हुए प्रान्त को जिसके अन्दर बहुत रुपये की कमी रही है, जिसके अन्दर इतने बड़े २ एडवाईजर, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहों के आदमियों की गुंजाइश नहीं है। हमारे यहां भी काफी काबिल, योग्य आदमी हैं। बाहर का आदमी आये और हमारे राज्य को चलाने में मदद करे यह एक ऐसे वक्त की बात थी जब कि हमारा देश दुनियां के और देशों से १०० साल पिछड़ा माना जाता था और राजस्थान की इतनी रियासतें थी वह सभी उनसे १०० साल पिछड़ी हुई मानी जाती थी। उस वक्त जो अफसर बाहर से आते थे वह यहां के आदमियों को बिल्कुल नाकाबिल समझते थे वह अंग्रेजों का जमाना अब नहीं रहना चाहिये। हम किसी से भी कम नहीं हैं। राजस्थान की जिम्मेदारी हम जो १६० आदमी प्रतिनिधि चुन कर आये हैं उन पर है। इस बात को उठाने के लिए हम तैयार हैं। हमारे यहां की जिम्मेदारी हम पर सौंप देनी चाहिए, चाहे हम अच्छा करें या बुरा। हम सब इस बात का मिलकर इंतजाम चला सकते हैं और इसका इंतजाम हम पर छोड़ना चाहिये, यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

माननीय अध्यक्ष:-

अब सदन की बैठक गुरूवार, दिनांक १० अप्रेल, १९५२ ई० प्रातःकाल ८-३० बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(इसके पश्चात सदन १२-४५ बजे बृहस्पतिवार, दिनांक १० अप्रेल, १९५२ ई० के प्रातःकाल ८-३० बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

टाउन हॉल
जयपुर
९ अप्रेल, १९५२

मन्त्राराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा
जयपुर.